सीएनएस/एटीएम समझौता

नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना के लिए

द्वारा और के बीच

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ("एएआई")

और

नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
("हवाईअड्डा कंपनी")

दिनांक: 5 सितंबर, 2018

यह गैर-न्यायिक स्टांप पेपर 5 सितंबर, 2018 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ("एएआई") और नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के बीच हुए सीएनएस/एटीएम समझौते का एक अभिन्न हिस्सा है।

विषय-सूची

- **1. परिभाषाएं और व्याख्या** 4
  - 1.1 परिभाषाएं 4
  - 1.2 व्याख्या 8
- **2. पूर्ववर्ती शर्तें** 9
  - 2.1 सेवाओं के लिए पूर्ववर्ती शर्तें 9
  - 2.2 पूर्ववर्ती शर्तों की गैर-पूर्ति 9
  - 2.3 प्रभावी तिथि 9
- **3. सेवाओं का दायरा - प्री-कमीशनिंग चरण** 10
  - 3.1 हवाई अड्डा कंपनी के प्री-कमीशनिंग दायित्व 10
  - 3.2 एएआई (एएआई) प्री-कमीशनिंग सेवाएं 10
  - 3.3 समन्वय 11
  - 3.4 एएआई (एएआई) के सामान्य दायित्व .....

. 11

- **4. सेवाओं का दायरा – कमीशनिंग चरण** 12
  - 4.1 चरण I कमीशनिंग अवधि और भविष्य की कमीशनिंग अवधि का प्रारंभ 12
  - 4.2 हवाई अड्डा कंपनी के कमीशनिंग दायित्व 12
  - 4.3 एएआई (एएआई) कमीशनिंग सेवाएं 13
- **5. सेवाओं का दायरा – संचालन चरण** 14
  - 5.1 एएआई (एएआई) संचालन सेवाएं 14
  - 5.2 एटीएम (ATM) - एन–रूट और अन्य सेवाएं, यदि आवश्यक हो 15
  - 5.3 हवाई अड्डा कंपनी के संचालन दायित्व 15
- **6. सुविधा में परिवर्तन** 17
  - 6.1 परिवर्तन के लिए अनुरोध 17
  - 6.2 परिवर्तन जो हवाई अड्डा कंपनी की लागत को प्रभावित नहीं करते 17
- **7. राजस्व और शुल्क** 18
  - 7.1 मार्ग नेविगेशन सुविधाएं शुल्क . . . . . .

. 18
- 7.2 टर्मिनल नेविगेशन लैंडिंग शुल्क 18
- 7.3 संग्रहण 18
- 7.4 सीएनएस–एटीएम (CNS-ATM) सेवा शुल्क 18
- 7.5 एएआई (एएआई) द्वारा देय किराया शुल्क 18

- **8. सेवाओं के मानक और प्रदर्शन में विफलता** 18
  - 8.1 सेवाओं के मानक 18
  - 8.2 गैर–हस्तक्षेप 19
  - 8.3 क्षतिपूर्ति 19
- **9. फोर्स मेजर (आपदा/अपरिहार्य घटना)** 19
  - 9.1 फोर्स मेजर 19
  - 9.2 फोर्स मेजर के परिणाम 19

- **10. अवधि और समाप्ति** 20
  - 10.1 हवाई अड्डा कंपनी की समाप्ति घटनाएं 20
  - 10.2 एएआई (एएआई) समाप्ति घटनाएं 20
  - 10.3 समाप्ति नोटिस का प्रभाव 20
  - 10.4 समाप्ति के परिणाम 20
- **11. समनुदेशन (अधिकारों का हस्तांतरण)** 21
  - 11.1 एएआई (एएआई) द्वारा समनुदेशन 21
  - 11.2 हवाई अड्डा कंपनी द्वारा समनुदेशन 21
- **12. विवाद समाधान** 21
  - 12.1 बातचीत और सुलह 21
  - 12.2 मध्यस्थ को संदर्भ 21
  - 12.3 विविध .....

. 22
- 12.4 निर्णय/पंचाट 22
- **13. बीमा का रखरखाव** 22
  - 13.1 बीमा प्राप्त करना 22
  - 13.2 नीतियां 22
- 13.3 बीमा कराने में विफलता के लिए उपाय 22
- 13.4 बीमा राशि का उपयोग 22
- **14. विविध प्रावधान** 23
  - 14.1 सूचनाएं 23
  - 14.2 पृथक्करण 23
  - 14.3 संपूर्ण समझौता 24
  - 14.4 संशोधन . . . . . .

. 24
- 14.5 अतिरिक्त दस्तावेज और कार्रवाई 24
- 14.6 प्रत्यक्ष समझौता 24
- 14.7 विलंबित भुगतान के लिए ब्याज 24
- 14.8 कोई साझेदारी नहीं 24
- 14.9 कोई तीसरा पक्ष लाभार्थी नहीं 25
- 14.10 प्रतिरूप 25
- 14.11 समय का विशेष महत्व 25
- 14.12 समय की गणना 25
- 14.13 शासक भाषा 25
- 14.14 शासी कानून और क्षेत्राधिकार 25
- 14.15 एएआई द्वारा प्रसंविदाएं 25

- **अनुसूची 1** 26

- हवाई अड्डे पर उपकरण 27

- **अनुसूची 2** 28
  - सुविधा 28
- **अनुसूची 3** 29
  - सीएनएस/एटीएम सेवाएं 29
- **अनुसूची 4** 30
  - अपरिहार्य घटना की परिभाषा 30
- **अनुसूची 5** 32
  - एएआई प्रत्यक्ष समझौते का प्रारूप 32

यह सीएनएस/एटीएम समझौता (जिसे आगे "समझौता" कहा गया है) 5 सितंबर, 2018 को नई दिल्ली में दो पक्षों के बीच संपन्न हुआ।

पक्षकार:

- **भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई)**: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के तहत स्थापित, जिसका मुख्य कार्यालय राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली - 110 003 में है और जो इसके अध्यक्ष द्वारा प्रतिनिधित्व किया गया है।
- **नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड**: कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय हवाई अड्डा निदेशक कार्यालय, टर्मिनल 1-बी, सीएसआई हवाई अड्डा, सांताक्रूज, मुंबई - 400 099, महाराष्ट्र में है और जिसे "हवाई अड्डा कंपनी" कहा गया है।

1. परिभाषाएं और व्याख्या

1.1 परिभाषाएं

इस समझौते में निम्नलिखित शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ होंगे जो नीचे दिए गए हैं, जब तक कि संदर्भ या अर्थ से अन्यथा न हो:

- "**एएआई अधिनियम**" **(AAI Act)**: इसका वही अर्थ है जो ऊपर प्रस्तावना 'बी' में दिया गया है।
- "**एएआई कमीशनिंग सेवाएं**" **(AAI Commissioning Services)**: वे सेवाएं हैं जो खंड 4.3 के अनुसार एएआई द्वारा हवाई अड्डे पर प्रदान की जानी हैं।
- "**एएआई उपकरण**" **(AAI Equipment)**: प्रासंगिक आईसीएओ (ICAO) एनेक्सेस और दस्तावेजों (समय-समय पर संशोधित) में निहित प्रावधानों के अनुसार एएआई सेवाओं को करने में एएआई को सक्षम करने के लिए हवाई अड्डा कंपनी की सुविधा उपकरण के अलावा, एएआई द्वारा आवश्यक सभी उपकरण।
- "**एएआई प्रचालनात्मक सेवाएं**" **(AAI Operative Services)**: खंड 5.1 के अनुसार एएआई द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं।
- "**एएआई प्री-कमीशनिंग सेवाएं**" **(AAI Pre-Commissioning Services)**: खंड 3 के अनुसार एएआई द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं।
- "**एएआई सेवाएं**" **(AAI Services)**: एएआई प्री-कमीशनिंग सेवाएं, एएआई कमीशनिंग सेवाएं और एएआई प्रचालनात्मक सेवाएं।
- "**प्रभावित पक्ष**" **(Affected Party)**: खंड 9.1 में इसे दिया गया अर्थ प्राप्त होगा।
- "**सहयोगी**" **(Affiliate)**: किसी पक्ष के संबंध में, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो:

- (क) किसी पक्ष की सहायक कंपनी है;
- (ख) ऐसा व्यक्ति जिसकी कोई पक्ष सहायक कंपनी है;
- (ग) किसी ऐसे व्यक्ति की सहायक कंपनी है जिसकी कोई पक्ष सहायक कंपनी है;
- (इस परिभाषा के प्रयोजनों के लिए, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की "सहायक कंपनी" होती है यदि बाद वाला व्यक्ति, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, कानूनी या लाभांश के रूप में, पूर्ववर्ती के उन शेयरों का स्वामी है जो साधारण परिस्थितियों में शेयरधारकों की आम बैठक में 50% (पचास प्रतिशत) या उससे अधिक वोट डालने के लिए पर्याप्त हैं)।

- **"एयरफील्ड प्रकाश व्यवस्था प्रणाली" (Airfield Lighting System)**: प्रस्तावित विमान संचालन और एयरोड्रोम श्रेणी के लिए आवश्यक हवाई अड्डे पर प्रकाश प्रणालियां (रनवे, टैक्सीवे, एप्रन और एप्रोच के संबंध में शामिल हैं) प्रासंगिक आईसीएओ (ICAO) एनेक्सेस और दस्तावेजों (समय-समय पर संशोधित) में निहित प्रावधानों के अनुसार।
- **"हवाई अड्डा" (Airport)**: महाराष्ट्र राज्य में नवी मुंबई में चरणों में विकसित किया जाने वाला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा और इसके सभी भवन, उपकरण, सुविधाएं और प्रणालियां शामिल हैं।
- **"हवाई अड्डा कंपनी के कमीशनिंग दायित्व" (Airport Company's Commissioning Obligations)**: खंड 4.2 के अनुसार हवाई अड्डा कंपनी द्वारा पूरे किए जाने वाले दायित्व।
- **"हवाई अड्डा कंपनी के उपकरण" (Airport Company's Equipment)**: अनुसूची 1 के भाग I में निर्धारित वस्तुएं।
- **"हवाई अड्डा कंपनी के दायित्व" (Airport Company's Obligations)**: हवाई अड्डा कंपनी के प्री-कमीशनिंग दायित्व, हवाई अड्डा कंपनी के कमीशनिंग दायित्व और हवाई अड्डा कंपनी के प्रचालनात्मक दायित्व।
- **"हवाई अड्डा कंपनी के प्रचालनात्मक दायित्व" (Airport Company's Operative Obligations)**: खंड 5.3 के अनुसार हवाई अड्डा कंपनी द्वारा पूरे किए जाने वाले दायित्व।
- **"हवाई अड्डा कंपनी के प्री-कमीशनिंग दायित्व" (Airport Company's Pre-Commissioning Obligations)**: खंड 3.1 के अनुसार हवाई अड्डा कंपनी द्वारा पूरे किए जाने वाले दायित्व।
- **"हवाई अड्डा खुलने की तिथि" (Airport Opening Date)**: वह तिथि जिस दिन चरण I का व्यावसायिक संचालन शुरू होता है।
- **"हवाई अड्डा खुलने की लक्षित तिथि" (Airport Opening Target Date)**: रियायत समझौते में परिभाषित नियत तिथि के तुरंत बाद 1245वां दिन या रियायत समझौते की शर्तों के अनुसार समय-समय पर संशोधित तिथि।
- **"शिकागो सम्मेलन" (Chicago Convention)**: शिकागो सम्मेलन 1944 जैसा कि समय-समय पर संशोधित और/या पूरक किया गया है, और शिकागो सम्मेलन के 'एनेक्स' के संदर्भ का अर्थ ऐसे एनेक्स से होगा जैसा कि समय-समय पर संशोधित और/या पूरक किया गया है।
- **"स्वीकृति" (Clearance)**: भारत सरकार (GOI) से समय-समय पर हवाई अड्डे के संबंध में आवश्यक लिखित सहमति, लाइसेंस, अनुमोदन, अनुमति, रूलिंग, छूट, अनापत्ति प्रमाण पत्र या किसी भी प्रकृति का अन्य प्राधिकरण या अनुमति।

- "**सीएनएस/एटीएम सेवाएं**" **(CNS/ ATM Services)**: संचार, नेविगेशन और निगरानी तथा वायु यातायात प्रबंधन सेवाएं जो एएआई द्वारा हवाई अड्डे पर प्रदान की जानी हैं और अनुसूची 3 में अधिक विशेष रूप से वर्णित हैं।
- "**रियायत समझौता**" **(Concession Agreement)**: प्रस्तावना 'ए' में निर्धारित अर्थ रखता है।
- "**ऋण**" **(Debt)**: परियोजना के लिए वित्तपोषण समझौतों के तहत हवाई अड्डा कंपनी के वरिष्ठ ऋणदाताओं (Senior Lenders) के लिए बकाया ऋण।
- "**डीजीसीए**" **(DGCA)**: नागरिक उड्डयन महानिदेशक, भारत सरकार।
- "**प्रभावी तिथि**" **(Effective Date)**: खंड 2.3 में दिया गया अर्थ रखता है।
- "**ईपीसी ठेकेदार**" **(EPC Contractors)**: ईपीसी अनुबंधों में नामित कोई भी एक या अधिक पक्ष।
- "**ईपीसी अनुबंध**" **(EPC Contracts)**: हवाई अड्डा कंपनी और ईपीसी ठेकेदारों के बीच निष्पादित या निष्पादित किए जाने वाले समझौते जिनके तहत ईपीसी ठेकेदार हवाई अड्डे का डिजाइन, खरीद, निर्माण और पूर्ण करेंगे।
- "**विस्तार**" **(Expansion)**: मास्टर प्लान के अनुसार समय-समय पर हवाई अड्डे पर सुविधाओं का विस्तार।
- "**सुविधा**" **(Facility)**: हवाई अड्डा कंपनी द्वारा हवाई अड्डे पर निर्मित की जाने वाली वायु यातायात सेवाएं परिसर, जैसा कि अनुसूची 2 में अधिक व्यापक रूप से निर्धारित किया गया है।
- "**वित्तीय समापन**" **(Financial Close)**: वह तिथि जिस पर वित्तपोषण समझौते (जहां तक वे चरण I के विकास और निर्माण से संबंधित हैं) को उसके सभी पक्षों द्वारा निष्पादित और वितरित किया गया है और इसके तहत पूर्ववर्ती शर्तें इस हद तक पूरी हो चुकी हैं कि हवाई अड्डा कंपनी को आवश्यक धनराशि तक तत्काल पहुंच की अनुमति मिल सके।
- "**वित्तपोषण समझौते**" **(Financing Agreements)**: रियायत समझौते में इसके लिए जो अर्थ बताया गया है, वही अर्थ है।
- "**फोर्स मेजर**" **(Force Majeure)**: अनुसूची 4 में निर्धारित अर्थ रखता है।
- "**भविष्य की कमीशनिंग तिथि**" **(Future Commissioning Date)**: वह तिथि जिस पर कोई भी भविष्य की कमीशनिंग अवधि शुरू होगी, जैसा कि खंड 4.1 के अनुसार हवाई अड्डा कंपनी द्वारा एएआई को सूचित किया जाएगा।
- "**भविष्य की कमीशनिंग अवधि**" **(Future Commissioning Period)**: हवाई अड्डे के किसी भी विस्तार के लिए आवश्यक किसी भी अतिरिक्त एएआई उपकरण के संबंध में पक्षों के बीच सहमति के अनुसार कोई भी भविष्य की कमीशनिंग अवधि।
- "**भारत सरकार**" **(GOI)**: भारत सरकार और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के प्रत्यक्ष नियंत्रण और निर्देश के तहत इसकी कोई भी विधिवत अधिकृत एजेंसी, प्राधिकरण (किसी भी नियामक प्राधिकरण सहित), विभाग, निदेशालय, मंत्रालय या सांविधिक व्यक्ति (स्वायत्त या नहीं)।
- "**आईकैटो**" **(ICAO)**: शिकागो सम्मेलन द्वारा गठित अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन और इसका कोई भी उत्तराधिकारी।
- "**घटना रिपोर्टिंग प्रक्रिया**" **(Incident Reporting Procedure)**: घटनाओं और आपात स्थितियों की रिपोर्ट करने के लिए एएआई और हवाई अड्डा कंपनी द्वारा समय-समय पर सहमति की जाने वाली प्रक्रिया।

- **"नुकसान" (Loss)**: कोई भी नुकसान, देनदारियां, लागत, खर्च, दावे, कार्यवाही, कार्रवाई, मांगें, दायित्व, कमियां, मुकदमे, निर्णय, निषेधाज्ञा, पुरस्कार या क्षति।
- **"मास्टर प्लान" (Master Plan)**: रियायत समझौते की शर्तों के अनुसार हवाई अड्डा कंपनी द्वारा तैयार किया गया मास्टर प्लान और समय-समय पर संशोधित।
- **"कार्यालय आवास" (Office Accommodation)**: इस समझौते की अनुसूची 2 में निर्धारित आवास और कार पार्किंग स्थान।
- **"ऑपरेटिंग समन्वय प्रक्रिया" (Operating Coordination Procedure)**: एएआई सेवाओं और हवाई अड्डा कंपनी के दायित्वों से संबंधित प्रावधानों के दिन-प्रतिदिन के निर्वहन के बारे में जानकारी के संचार के लिए एएआई और हवाई अड्डा कंपनी द्वारा समय-समय पर सहमति की जाने वाली प्रक्रिया।
- **"कर्मी" (Personnel)**: एएआई सेवाएं और सीएनएस/एटीएम सेवाएं निष्पादित करने वाले एएआई कर्मी।
- **"चरण I" (Phase I)**: रियायत समझौते में प्रदान किए गए अनुसार हवाई अड्डे के चरण I का डिजाइन, वित्तपोषण, निर्माण, पूर्णता और कमीशनिंग।
- **"चरण I कमीशनिंग तिथि" (Phase I Commissioning Date)**: वह तिथि जिस पर चरण I कमीशनिंग अवधि शुरू होगी, जैसा कि खंड 4.1 के अनुसार हवाई अड्डा कंपनी द्वारा एएआई को सूचित किया जाएगा।
- **"चरण I कमीशनिंग अवधि" (Phase I Commissioning Period)**: चरण I कमीशनिंग तिथि से शुरू होने वाली 3 (तीन) महीने की अवधि।
- **"परियोजना" (Project)**: हवाई अड्डे का डिजाइन, वित्तपोषण, निर्माण, पूर्णता, कमीशनिंग, रखरखाव, संचालन, प्रबंधन और विकास।
- **"रेसा" या "रनवे एंड सेफ्टी एरिया" (RESA or Runway End Safety Area)**: विस्तारित रनवे केंद्र रेखा के बारे में सममित और पट्टी के अंत के आसन्न एक क्षेत्र जिसका उद्देश्य मुख्य रूप से रनवे के नीचे या ऊपर उड़ने वाले हवाई जहाज को नुकसान के जोखिम को कम करना है।
- **"मार्ग नेविगेशन सुविधाएं शुल्क" (Route Navigation Facilities Charges)**: एएआई के वर्तमान आदेशों के अनुसार मार्ग नेविगेशन सुविधाओं के प्रावधान के लिए एएआई द्वारा एयरलाइंस और/या विमान ऑपरेटरों से लिया जाने वाला शुल्क।
- **"निर्धारित कमीशनिंग तिथि" (Scheduled Commissioning Date)**: खंड 4.1 में इसे दिया गया अर्थ प्राप्त होगा।
- **"सुरक्षा" (Security)**: कोई भी बंधक, गिरवी, ग्रहणाधिकार (lien), सुरक्षा हित या अन्य प्रभार या भार और लगभग समान आर्थिक प्रभाव वाला कोई अन्य समझौता या व्यवस्था।
- **"वरिष्ठ ऋणदाता" (Senior Lenders)**: वित्तीय संस्थान, बैंक, बहुपक्षीय ऋण देने वाली एजेंसियां, ट्रस्ट, फंड और डिबेंचर धारकों के एजेंट या ट्रस्टी, जिसमें उनके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती शामिल हैं, जिन्होंने चरण I और/या किसी भी विस्तार के वित्तपोषण के लिए इसके संदर्भ की शर्तों के अनुसार रियायतग्राही की संपत्ति, अधिकार, हक और हितों पर समस्थानिक (pari passu) प्रभार रखने वाले वित्तपोषण समझौतों के तहत रियायतग्राही को गारंटी या वित्त प्रदान करने के लिए सहमति व्यक्त की है।
- **"साइट" (Site)**: वह भूमि जिस पर रियायत समझौते की शर्तों के अनुसार हवाई अड्डा कंपनी द्वारा हवाई अड्डे का निर्माण किया जाना है।

- **"टर्मिनल नेविगेशनल लैंडिंग शुल्क" (Terminal Navigational Landing Charges)**: सीएनएस/एटीएम सेवाओं के प्रावधान के लिए एएआई द्वारा एयरलाइंस से लिया जाने वाला या लिया जाने वाला शुल्क।

1.2 व्याख्या

इस समझौते में जब तक कि संदर्भ अन्यथा की मांग न करे:

1.2.1 संसद के किसी अधिनियम या उसके किसी अनुभाग या अनुसूची, या अन्य प्रावधान के किसी भी संदर्भ को, किसी विशेष समय पर, बल में किसी भी संशोधन, विस्तार या पुनः अधिनियमन के संदर्भ के रूप में और प्रासंगिक अधिनियम या प्रावधान के तहत या वैधता प्राप्त करने वाले सभी नियमों, आदेशों या विनियमों के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा।

1.2.2 "निर्णय" (judgment) के संदर्भ में भारतीय क्षेत्राधिकार में कोई भी आदेश, निषेधाज्ञा, निर्धारण, डिक्री या अन्य न्यायिक या मध्यस्थ न्यायाधिकरण उपाय शामिल हैं जो अंतिम और बाध्यकारी हैं।

1.2.3 "कानून" (law) के संदर्भ में सामान्य कानून, भारत का संविधान और कोई भी डिक्री, निर्णय, कानून, आदेश, अध्यादेश, विनियमन, उप-नियम, कानून, अधिसूचना, परिपत्र, दिशानिर्देश, सांविधिक साधन या अन्य विधाई उपाय शामिल हैं, जो किसी भी क्षेत्राधिकार के हों (और "कानूनी" तथा "अगैरकानूनी" तदनुसार समझे जाएंगे)।

1.2.4 एक वचन (singular) के संदर्भ में बहुवचन (plural) के संदर्भ और इसके विपरीत शामिल होंगे।

1.2.5 "दिन" (day) के संदर्भ का अर्थ कैलेंडर दिन से है।

1.2.6 किसी विशेष खंड, पैराग्राफ, उप-पैराग्राफ या अनुसूची के संदर्भ, सिवाय इसके कि जहां संदर्भ अन्यथा की मांग करे, इस समझौते में या इसके उस खंड, पैराग्राफ, उप-पैराग्राफ या अनुसूची के संदर्भ होंगे।

1.2.7 शीर्षक सुविधा के लिए डाले गए हैं और निर्माण के प्रयोजनों के लिए इन्हें अनदेखा किया जाना चाहिए।

1.2.8 इस समझौते की अनुसूचियों में परिभाषित शब्दों का वही अर्थ होगा जो इस समझौते में कहीं और उपयोग किए जाने पर अनुसूचियों में उन्हें दिया गया है।

1.2.9 इस समझौते की अनुसूचियां इस समझौते का हिस्सा बनती हैं और पूर्ण बल और प्रभाव में होंगी जैसे कि उन्हें इस समझौते के मुख्य भाग में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया हो।

1.2.10 किसी भी समझौते, विलेख, उपकरण, लाइसेंस कोड या किसी भी विवरण के अन्य दस्तावेज के किसी भी संदर्भ को, किसी विशेष समय पर, उस समझौते, विलेख, उपकरण, लाइसेंस कोड या अन्य दस्तावेज के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा जैसा कि तब संशोधित, विविध, पूरक, संशोधित, निलंबित या नवनीकृत किया गया हो सकता है।

1.2.11 "लिखित" (written) और "लिखित रूप में" (in writing) शब्दों में फैक्स transmission और मूर्त और स्थायी रूप से दृश्यमान रूप में कार्यों को पुनरुत्पादित करने का कोई भी साधन शामिल है।

1.2.12 "शामिल हैं" (include) और "सहित" (including) शब्दों को बिना किसी सीमा के समझा जाना है।

1.2.13 "निर्माण" (construction) के संदर्भ में, जब तक संदर्भ अन्यथा की मांग न करे, डिजाइन, खरीद, वितरण, स्थापना, परीक्षण, पूर्णता, कमीशनिंग और निर्माण की प्रक्रिया से जुड़ी अन्य गतिविधियां शामिल हैं।

1.2.14 एक पक्ष के संदर्भ में उसके उत्तराधिकारी और अनुमति प्राप्त समनुदेशिती (permitted assigns) शामिल होंगे।

1.2.15 खंडों के भीतर की परिभाषाओं का उसमें निहित अर्थ होता है।

1.2.16 "व्यक्ति" (person) के संदर्भ में (संदर्भ के अनुसार) कोई भी प्राकृतिक और/या न्यायिक इकाई (भारत सरकार या महाराष्ट्र सरकार सहित) शामिल है।

2. पूर्ववर्ती शर्तें

2.1 सेवाओं के लिए पूर्ववर्ती शर्तें

इस समझौते के प्रावधान (खंड 1, 2, 10 से 12 और 14 में शामिल प्रावधानों को छोड़कर, जो इस समझौते की तारीख से ही पक्षों पर बाध्यकारी होंगे) तब प्रभावी होंगे और पक्षों पर तब से बाध्यकारी हो जाएंगे जब निम्नलिखित पूर्ववर्ती शर्तें पूरी तरह से पूरी हो चुकी होंगी:

- (क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा हवाई अड्डा कंपनी से इस आशय का एक अप्रत्याशित नोटिस प्राप्त करना कि रियायत समझौता उसके सभी पक्षों द्वारा निष्पादित और वितरित कर दिया गया है;
- (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा हवाई अड्डा कंपनी से इस आशय का एक अप्रत्याशित नोटिस प्राप्त करना कि ईपीसी अनुबंध उसके सभी पक्षों द्वारा निष्पादित और वितरित कर दिए गए हैं और उसमें निर्धारित सभी पूर्ववर्ती शर्तें (इस समझौते से संबंधित किसी भी पूर्ववर्ती शर्त को छोड़कर जो संतुष्ट या माफ कर दी गई हैं) पूरी या माफ कर दी गई हैं, जो नोटिस पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा;
- (ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा हवाई अड्डा कंपनी से इस आशय का एक अप्रत्याशित नोटिस प्राप्त करना कि वित्तीय समापन (Financial Close) हो गया है, जो नोटिस पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा;

बशर्ते कि ऐसी किसी भी पूर्ववर्ती शर्त को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और हवाई अड्डा कंपनी के बीच लिखित समझौते द्वारा माफ किया जा सकता है।

2.2 पूर्ववर्ती शर्तों की गैर-पूर्ति

2.2.1 गैर-पूर्ति पर समाप्ति

यदि खंड 2.1 में निर्धारित पूर्ववर्ती शर्तें इस समझौते की तारीख से 12 (बारह) महीने बीत जाने की तारीख तक पूरी नहीं होती हैं या हवाई अड्डा कंपनी और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा माफ नहीं की जाती हैं, तो खंड 2.2 के अधीन रहते हुए, दोनों पक्षों को दूसरे पक्ष को लिखित में 21 (इक्कीस) दिनों का नोटिस देकर इस समझौते को समाप्त करने का अधिकार होगा और ऐसे नोटिस की समाप्ति पर यह समझौता समाप्त हो जाएगा, बशर्ते कि नोटिस अवधि के दौरान पूर्ववर्ती शर्तें पूरी या माफ कर दी जाती हैं तो समझौता खंड 2.1 के तहत परिकल्पित रूप में लागू हो जाएगा।

2.2.2 पूर्ति के लिए समय का विस्तार

खंड 2.2.1 में निर्दिष्ट तारीख से पहले किसी भी समय, पक्षों को आपसी समझौते द्वारा पूर्ववर्ती शर्तों की संतुष्टि या छूट के लिए तारीख को अतिरिक्त 3 (तीन) महीने तक बढ़ाने का अधिकार होगा।

2.3 प्रभावी तिथि

यह समझौता यहाँ उपस्थित पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए जाने की तिथि से प्रभावी होगा ("प्रभावी तिथि")।

यहाँ इस समझौते के प्री-कमीशनिंग चरण, कमीशनिंग चरण और संचालन चरण से संबंधित दायित्वों तथा सेवाओं का विवरण दिया गया है:

3. सेवाओं का दायरा - प्री-कमीशनिंग चरण (SCOPE OF SERVICES - PRE-COMMISSIONING PHASE)

3.1 हवाई अड्डा कंपनी के प्री-कमीशनिंग दायित्व

वित्तीय समापन के पश्चात, हवाई अड्डा कंपनी निम्नलिखित कार्य करेगी:

- चरण I कमीशनिंग तिथि से कम से कम 180 (एक सौ अस्सी) दिन पूर्व अपनी स्वयं की लागत पर सुविधा का डिजाइन और निर्माण करेगी, सिवाय एयर कंडीशनिंग के प्रावधान के जिसे चरण I कमीशनिंग तिथि से 90 (नब्बे) दिन पूर्व प्रदान किया जाएगा।
- साइट पर या साइट के बाहर (हवाई अड्डे के दृष्टिकोण के संबंध में यदि आवश्यक हो) हवाई अड्डा कंपनी के उपकरणों का डिजाइन, अधिग्रहण और स्थापना अपनी स्वयं की लागत पर करेगी, जो हवाई अड्डा कंपनी के स्वामित्व में होंगे। इन उपकरणों के परीक्षण और/या कमीशनिंग के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) जिम्मेदार नहीं होगा, यह जिम्मेदारी हवाई अड्डा कंपनी की होगी। यदि आवश्यक हुआ, तो हवाई अड्डा कंपनी अपने उपकरणों को कैलिब्रेट करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ कैलिब्रेशन उड़ानों का समन्वय करेगी।

- सुविधा के संचालन के लिए आवश्यक पानी, बिजली, एयर-कंडिशिंह, टेलीफोन, क्रैश फायर और अन्य सेवा माध्यमों की व्यवस्था अपनी स्वयं की लागत पर स्थापित करेगी।
- यह सुनिश्चित करेगी कि हवाई अड्डा कंपनी के उपकरण चरण I कमीशनिंग तिथि तक या हवाई अड्डे के किसी भी विस्तार के लिए आवश्यक किसी अतिरिक्त उपकरण के मामले में भविष्य की कमीशनिंग तिथि तक स्थापित, परीक्षण और कमीशन कर दिए जाएं।
- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के उपकरणों और हवाई अड्डा कंपनी के उपकरणों के बीच के इंटरफेस की पहचान कराएगी।
- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को हवाई अड्डे या उसके कर्मियों, वाहनों और एजेंटों तक ऐसी पहुंच प्रदान करेगी जैसी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण प्री-कमीशनिंग सेवाओं के प्रदर्शन के लिए उचित रूप से अपेक्षा करता है।
- रनवे के डिजाइन और विभिन्न संचार, नेविगेशन और निगरानी (सीएनएस/एटीएम) सुविधाओं के स्थान की योजना बनाने से पहले, हवाई अड्डा कंपनी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग (Survey of India) या भारतीय सर्वेक्षण विभाग/भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अधिकृत अन्य एजेंसियों के माध्यम से, प्रस्तावित ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के हवाई अड्डा संदर्भ बिंदु (Airport Reference Point) से 30 (तीस) नॉटिकल मील के क्षेत्र का सर्वेक्षण कराएगी। उक्त सर्वेक्षण रिपोर्ट, संचार, नेविगेशन और निगरानी सुविधाओं की स्थिति को अंतिम रूप देने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की सहमति प्राप्त करते समय और विभिन्न संरचनाओं आदि के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करने हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाएगी।

3.2 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) की प्री-कमीशनिंग सेवाएं

वित्तीय समापन के पश्चात, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण निम्नलिखित कार्य करेगा:

- सुविधा में, साइट पर, या यदि साइट के बाहर हवाई अड्डे के दृष्टिकोण के संबंध में आवश्यक हो तो, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के उपकरणों का डिजाइन, खरीद और स्थापना करेगा, जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के स्वामित्व में होंगे।
- यह सुनिश्चित करेगा कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के उपकरण चरण I कमीशनिंग तिथि या भविष्य की कमीशनिंग तिथि तक स्थापित, परीक्षण और कमीशन कर दिए जाएं। यदि हवाई अड्डा कंपनी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) के एनेक्सेस और दस्तावेजों में निर्धारित आवश्यकताओं से ऊपर और परे उपकरणों को अपग्रेड करने की अपेक्षा करती है, तो ऐसे उपकरणों के उन्नयन की लागत हवाई अड्डा कंपनी द्वारा उठाई जाएगी।
- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और हवाई अड्डा कंपनी के उपकरणों तथा इंटरफेस के बीच समन्वय करेगा और अनुकूलता सुनिश्चित करेगा। किसी भी पक्ष द्वारा इंटरफेस की आवश्यकता के संबंध में, उक्त इंटरफेस की लागत हवाई अड्डा कंपनी द्वारा वहन की जाएगी।
- हवाई अड्डा कंपनी के अनुरोध पर, हवाई अड्डा कंपनी के किसी भी उपकरण के संबंध में ईपीसी ठेकेदारों द्वारा आयोजित किसी भी बेंचमार्क परीक्षण में, हवाई अड्डा कंपनी की लागत पर भाग लेगा।
- हवाई अड्डा कंपनी की लागत पर नक्शे, चार्ट, सर्वेक्षण, आईएएल (IAL) प्रक्रिया तैयार करेगा, साइट का दौरा और संबंधित कार्य करेगा।

3.3 समन्वय

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और हवाई अड्डा कंपनी यह स्वीकार करते हैं कि इस समझौते के विभिन्न खंडों के तहत अपने दायित्वों का पालन करने के लिए, प्रत्येक पक्ष को दूसरे के साथ समन्वय करने की आवश्यकता होगी, जिसके लिए:

- वित्तीय समापन के बाद के पहले महीने से शुरू करते हुए, पक्ष एक संयुक्त समन्वय समिति-सीएनएस/एटीएम ("जेसीसी-सीएनएस/एटीएम") की स्थापना करेंगे, जो बेलापुर, नवी मुंबई में त्रैमासिक आधार पर या जेसीसी-सीएनएस/एटीएम के किसी सदस्य द्वारा बुलाए जाने पर अधिक नियमित आधार पर बैठक करेगी।
- जेसीसी (JCC) की अध्यक्षता हवाई अड्डा कंपनी द्वारा की जाएगी।
- जेसीसी-सीएनएस/एटीएम में 4 (चार) सदस्य होंगे, जिसमें प्रत्येक पक्ष 2 (दो) सदस्यों को नामित और नियुक्त करेगा। जेसीसी-सीएनएस/एटीएम के समक्ष रखे जाने वाले सभी मामलों के संबंध में संबंधित पक्ष का प्रतिनिधित्व करने और उसे बाध्य करने का पूर्ण अधिकार जेसीसी-सीएनएस/एटीएम के सदस्यों को प्रत्यायोजित माना जाएगा। समिति के सदस्य अपनी ओर से बैठक में भाग लेने के लिए वैकल्पिक सदस्यों के नामों को भी नामित और प्रस्ताव कर सकते हैं।
- यदि जेसीसी-सीएनएस/एटीएम किसी ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचने में असमर्थ है जो पक्षों के लिए संतोषजनक हो, तो कोई भी पक्ष, पहले उदाहरण में, ऐसे मामले को हवाई अड्डा कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष के पास संदर्भित करने का हकदार होगा। यदि उपर्युक्त वरिष्ठ कार्यकारी उस तिथि से 15 (पंद्रह) व्यावसायिक दिनों के भीतर मामले को हल करने में असमर्थ हैं जिस दिन इसे उनके पास भेजा गया था, तो कोई भी पक्ष इस समझौते के खंड 12 के तहत समाधान के लिए मामले को संदर्भित करने का हकदार होगा।

3.4 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के सामान्य दायित्व

इस समझौते के प्रदर्शन के संबंध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण निम्नलिखित कार्य करेगा:

- ईपीसी ठेकेदारों को ऐसे समय पर और ऐसी जानकारी प्रदान करेगा तथा उनके साथ बातचीत करेगा जिससे कि ईपीसी ठेकेदार हवाई अड्डे के पूरा होने के साथ-साथ समय पर, व्यवस्थित, तार्किक और सुसंगत तरीके से सुविधा और कार्यालय आवास को डिजाइन और पूरा करने में सक्षम हो सकें।
- अच्छी उद्योग प्रथाओं (Good Industry Practice) के अनुसार अपने कार्यस्थल पर सुरक्षा और कार्यों की देखरेख के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।
- किसी भी कारण से हुई देरी के कारण सुविधा और/या कार्यालय आवास के संबंध में आवश्यक किसी भी पुनर्प्रोग्रामिंग में ईपीसी ठेकेदार के साथ सहयोग करेगा।
- सुविधा और/या कार्यालय आवास के संबंध में प्रगति में तेजी लाने के लिए ईपीसी ठेकेदार द्वारा अपनाए गए किसी भी त्वरण उपायों में ईपीसी ठेकेदार के साथ सहयोग करेगा।
- सुविधा और/या कार्यालय आवास के डिजाइन या निष्पादन के कारण आवश्यक होने पर, या यदि कोई असुरक्षित स्थिति मौजूद है या उत्पन्न होने की संभावना है, या यदि

साइट की स्थितियों द्वारा आवश्यक है, या भारत सरकार की किसी भी कार्रवाई के कारण आवश्यक है, तो रियायत समझौते के अनुसार हवाई अड्डा कंपनी के आदेश पर सुविधा और/या कार्यालय आवास पर काम को निलंबित कर देगा।

4. सेवाओं का दायरा – कमीशनिंग चरण (SCOPE OF SERVICES - COMMISSIONING PHASE)

4.1 चरण I कमीशनिंग अवधि और भविष्य की कमीशनिंग अवधि का प्रारंभ

- हवाई अड्डा कंपनी, जितनी जल्दी हो सके और वित्तीय समापन से नवीनतम 365 (तीन सौ पैंसठ) दिनों के भीतर, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को उस तिथि की सूचना देगी जिस पर हवाई अड्डा कंपनी को उम्मीद है कि चरण I कमीशनिंग अवधि शुरू होगी ("निर्धारित कमीशनिंग तिथि")।
- हवाई अड्डा कंपनी, उपर्युक्त खंड 4.1.1 के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को हवाई अड्डा कंपनी द्वारा अधिसूचित निर्धारित कमीशनिंग तिथि से कम से कम 180 (एक सौ अस्सी) दिन पूर्व, उस तिथि की सूचना देगी जिस पर हवाई अड्डा कंपनी को तब चरण I कमीशनिंग तिथि होने की उम्मीद है और तदनुसार निर्धारित कमीशनिंग तिथि को संशोधित किया जाएगा।
- हवाई अड्डा कंपनी उस तिथि से कम से कम 365 (तीन सौ पैंसठ) दिन पूर्व भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सूचित करेगी जिस तिथि पर हवाई अड्डा कंपनी को किसी भी भविष्य की कमीशनिंग तिथि के होने की उम्मीद है।

4.2 हवाई अड्डा कंपनी के कमीशनिंग दायित्व

- चरण I कमीशनिंग तिथि या भविष्य की कमीशनिंग तिथि (जैसी भी स्थिति हो) से कम से कम 30 (तीस) दिन पूर्व, हवाई अड्डा कंपनी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को लिखित रूप में पुष्टि करेगी कि:
    - चरण I के संबंध में रनवे, टैक्सीवे, एप्रन और एप्रोच प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) के एनेक्सेस और दस्तावेजों (समय-समय पर संशोधित) में निहित प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार चरण I कमीशनिंग अवधि तक निर्मित किए जाएंगे जो हवाई अड्डे पर प्रस्तावित विमान संचालन के लिए उपयुक्त हैं और हवाई अड्डे पर विमान संचालन के लिए उपलब्ध होंगे।
    - चरण I के लिए रनवे की पट्टियां, शोल्डर्स (shoulders), स्टॉप वे और रेसा (RESA) तथा टैक्सीवे की पट्टियां और कंधे प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार निर्मित और अनुरक्षित किए जाएंगे।
    - चरण I कमीशनिंग अवधि से, दृष्टिकोण और टेक-ऑफ क्षेत्रों सहित हवाई अड्डे की बाधा सीमा सतह (Obstacle Limitation Surface) को बाधाओं से मुक्त रखा जाएगा या बाधाओं को प्रासंगिक ICAO एनेक्सेस और MoCA वेबसाइट में भारत सरकार के राजपत्र जीएसआर 751 (ई) में निहित प्रावधानों के अनुसार स्वीकार्य सीमाओं तक सीमित किया जाएगा, जिसके लिए संरचनाओं की एनओसी (NOC) प्रदान करने हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से संपर्क किया जाएगा।

- चरण I कमीशनिंग अवधि से, बचाव और अग्निशमन सेवाओं की उचित श्रेणी प्रासंगिक ICAO एनेक्सेस और दस्तावेजों के अनुसार उपलब्ध कराई जाएगी।
- चरण I कमीशनिंग तिथि से, हवाई अड्डा कंपनी किसी भी आकस्मिक स्थिति में संचार, नेविगेशन और निगरानी (सीएनएस/एटीएम) सेवाएं प्रदान करने के लिए एक वैकल्पिक सुविधा स्थापित करने हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मियों को सक्षम बनाने के लिए फायर वॉच टॉवर/किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर पर्याप्त स्थान प्रदान करेगी।
- हवाई अड्डा खुलने की तिथि से, परिचालन क्षेत्र में और उसके आस-पास पक्षी/पशु उपद्रव को रोकने के लिए हवाई अड्डे पर उचित व्यवस्था की जाएगी।

- चरण I कमीशनिंग अवधि या भविष्य की कमीशनिंग अवधि के दौरान, हवाई अड्डा कंपनी निम्नलिखित कार्य करेगी:
  - चरण I कमीशनिंग अवधि या भविष्य की कमीशनिंग अवधि (जैसी भी स्थिति हो) के शुरू होने के 14 (चौदह) दिनों के भीतर, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को लिखित में पुष्टि करेगी कि हवाई अड्डा कंपनी के उपकरण की आपूर्ति और स्थापना कर दी गई है। हवाई अड्डा कंपनी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को लिखित में यह भी पुष्टि करेगी कि हवाई अड्डे पर चरण I के लिए आवश्यक ऐसे उपकरणों का परीक्षण कर लिया गया है और संचालन के लिए अनुमोदित कर दिया गया है।
  - भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को अपने कर्मियों, वाहनों और एजेंटों के लिए हवाई अड्डे तक ऐसी पहुंच प्रदान करेगी जैसी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कमीशनिंग सेवाओं के प्रदर्शन के लिए उचित रूप से अपेक्षा करता है।
  - भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को विद्युत शक्ति और पानी की दोहरी आपूर्ति (dual supply) प्रदान करेगी जो उसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कमीशनिंग सेवाएं करने के लिए पर्याप्त हो।
  - इस हद तक कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यह निर्धारित करता है कि हवाई अड्डे के विस्तार के परिणामस्वरूप, हवाई अड्डे पर विद्युत शक्ति की अतिरिक्त स्टैंडबाय आपूर्ति की आवश्यकता है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण हवाई अड्डा कंपनी को अपनी अतिरिक्त आवश्यकताओं की सूचना देगा और पक्ष भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा आवश्यक अतिरिक्त स्टैंडबाय आपूर्ति के संबंध में चर्चा करने तथा समझौते पर पहुंचने के लिए मिलेंगे।
  - भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और/या उसके कर्मियों को ऐसी जानकारी प्रदान करेगी जो उन्हें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कमीशनिंग सेवाओं के प्रदर्शन के लिए उचित रूप से आवश्यक हो सकती है।
  - भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को अपने दायित्वों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए अनुसूची 2 में निर्धारित सुविधा (Facility) प्रदान करेगी।
  - एटीसी (ATC) में एसटीडी सुविधा के साथ सीधा टेलीफोन प्रदान करेगी।

4.3 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) की कमीशनिंग सेवाएं

- चरण I कमीशनिंग अवधि और किसी भी भविष्य की कमीशनिंग अवधि के दौरान, और हवाई अड्डा कंपनी द्वारा निर्धारित हवाई अड्डा संचालन परीक्षणों के दौरान, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण निम्नलिखित कार्य करेगा:

- खंड 4.2.1 के अनुसार हवाई अड्डा कंपनी से प्राप्त नोटिस के 14 (चौदह) दिनों के भीतर, हवाई अड्डा कंपनी को लिखित में पुष्टि करेगा कि सभी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उपकरणों की आपूर्ति और स्थापना कर दी गई है और उपकरण ईपीसी ठेकेदारों द्वारा प्रदान किए गए उपकरणों के साथ संगत हैं।
- सभी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उपकरणों का परीक्षण और कमीशनिंग करेगा ताकि वे पूरी तरह से चालू (operational) हो सकें।
- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा संचालित किसी भी प्रासंगिक वायु नेविगेशन और मौसम संबंधी उपकरण और प्रणालियों के साथ तथा आवश्यक सीमा तक हवाई अड्डा कंपनी के उपकरणों के साथ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उपकरणों को एकीकृत करने के लिए आवश्यक सभी कदम उठाएगा। हवाई अड्डा कंपनी के उपकरणों के साथ ऐसे एकीकरण की कोई भी लागत हवाई अड्डा कंपनी द्वारा वहन की जाएगी।
- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उपकरणों को कमीशन करने के लिए आवश्यक कैलिब्रेशन उड़ानें करेगा और व्यावहारिक सीमा तक, हवाई अड्डा कंपनी को उसी समय हवाई अड्डा कंपनी के उपकरणों को कैलिब्रेट करने में सक्षम बनाने के लिए हवाई अड्डा कंपनी के साथ इन उड़ानों का समन्वय करेगा। हवाई अड्डा कंपनी के उपकरणों को कैलिब्रेट करने के लिए हवाई अड्डा कंपनी द्वारा किए गए खर्च के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उत्तरदायी नहीं होगा। हवाई अड्डा कंपनी के उपकरणों को कैलिब्रेट करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किए गए खर्च की वसूली हवाई अड्डा कंपनी से की जाएगी।
- जहां उपयुक्त हो, हवाई अड्डे को कमीशन करने के लिए आवश्यक किसी भी जांच और प्रक्रियाओं के प्रदर्शन में हवाई अड्डा कंपनी और डीजीसीए (DGCA) की सहायता करेगा।
- ICAO एनेक्सेस और दस्तावेजों (समय-समय पर संशोधित) के अनुसार हवाई अड्डे पर और हवाई अड्डे के आसपास के हवाई क्षेत्र में विमानों के सुरक्षित, तीव्र और व्यवस्थित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सेवाओं से संबंधित सभी ऐसी प्रक्रियाओं, मैनुअल और चार्ट को तैयार और प्रकाशित करेगा।
- ICAO एनेक्सेस और दस्तावेजों के अनुसार तथा समग्र एयरस्पेस प्रबंधन, रक्षा की आवश्यकताओं और उड़ान सूचना क्षेत्र (Flight Information Region) के अनुरूप ऑपरेटिंग समन्वय प्रक्रिया और घटना रिपोर्टिंग प्रक्रिया पर हवाई अड्डा कंपनी के साथ पारस्परिक रूप से सहमति व्यक्त करेगा।
- हवाई अड्डे पर किसी भी परीक्षण संचालन के दौरान आवश्यक रूप से आवश्यक सहायता हवाई अड्डा कंपनी और अन्य एजेंसियों को प्रदान करेगा।

- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कमीशनिंग सेवाओं के प्रदर्शन के दौरान, यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सहायता ईपीसी ठेकेदारों को प्रदान करेगा कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उपकरण, हवाई अड्डा कंपनी के उपकरणों के साथ पर्याप्त रूप से एकीकृत हैं।
- खंड 4.3.1 के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कमीशनिंग सेवाओं के प्रदर्शन के पश्चात और चरण I कमीशनिंग अवधि या भविष्य की कमीशनिंग अवधि (जैसी भी स्थिति हो) की समाप्ति से पहले, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण हवाई अड्डा कंपनी को लिखित रूप में पुष्टि करेगा कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उपकरण पूरी

तरह से चालू हैं और हवाई अड्डा कंपनी के उपकरणों के साथ एकीकृत हैं तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उपकरण ऐसे हैं कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण प्रासंगिक ICAO एनेक्सेस और दस्तावेजों में निर्धारित प्रासंगिक मानकों के अनुसार संचालन सेवाएं कर सकता है।

5. सेवाओं का दायरा - संचालन चरण

5.1 □□□□□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ (□□□□) □□ □□□□□□□□□□□□□ □□□□□□

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, हवाई अड्डा खोलने की तिथि से और शामिल करते हुए, प्रासंगिक ICAO एनेक्सेस और दस्तावेजों में निर्धारित प्रासंगिक मानकों के अनुसार, 24*7 संचालन के लिए बहु-शिफ्ट संचालन शुरू करेगा:

- अनुसूची 3 में परिभाषित सीएनएस/एटीएम सेवाएं त्रैमासिक लागत वसूली के आधार पर प्रदान करेगा, और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा हवाई अड्डा कंपनी के बीच आपसी समझौते के आधार पर बहु-शिफ्ट संचालन को पूरा करने के लिए अपनी सीएनएस/एटीएम सेवाओं का विस्तार करेगा।
- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उपकरणों की आवधिक उड़ान कैलिब्रेशन और अन्य परीक्षण करने सहित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उपकरणों का रखरखाव करेगा।
- समय-समय पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उपकरणों को अपग्रेड करेगा (i) कम से कम ICAO एनेक्सेस और दस्तावेजों में निहित प्रासंगिक प्रावधानों का पालन करने के लिए।
- हवाई अड्डे पर प्रासंगिक सीएनएस/एटीएम सेवाएं प्रदान करने में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सक्षम बनाने के लिए समय-समय पर आवश्यक ऐसे उपकरणों की खरीद करेगा।
- हवाई अड्डा कंपनी द्वारा हवाई अड्डे पर आवश्यक संशोधन/विस्तार/उन्नयन के कारणों से हवाई अड्डा कंपनी की प्रचालनात्मक सुविधा के लिए, हवाई अड्डा कंपनी की लागत पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उपकरणों को स्थानांतरित करेगा, बशर्ते ऐसा स्थानांतरण हवाई अड्डा कंपनी के दायित्वों और/या हवाई अड्डे के सुचारू संचालन को प्रभावित न करे।
- वायु यातायात के सुरक्षित, तीव्र और व्यवस्थित प्रवाह के लिए आवश्यक ऐसी प्रक्रियाओं की समय-समय पर समीक्षा करेगा।
- एटीएस प्रणाली से हवाई अड्डा एओडीबी (AODB) तक कनेक्टिविटी प्रदान करेगा और हवाई अड्डा समुदाय नेटवर्क के माध्यम से सहमत प्रारूप, आवृत्ति और वितरण विधि में दैनिक, साप्ताहिक और मासिक आंदोलनों के लिए वायु यातायात आंदोलनों के सभी आंकड़े हवाई अड्डा कंपनी को प्रदान करेगा।
- ऐसी जानकारी का रिकॉर्ड प्रदान करेगा और रखेगा तथा ऑपरेटिंग समन्वय प्रक्रिया और घटना रिपोर्टिंग प्रक्रिया (सीएनएस/एटीएम सेवा के टूटने सहित) के तहत आवश्यक नोटिस हवाई अड्डा कंपनी और एयरमेन को जारी करेगा।

5.2 एटीएम – एन-रूट और अन्य सेवाएं (यदि आवश्यक हो)

यदि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को आवश्यकता है, तो वह हवाई अड्डा कंपनी से पूर्व सहमति प्राप्त करने के अधीन, जिसे अनुचित रूप से रोका नहीं जाएगा, एन-रूट एयर नेविगेशन सेवाओं के प्रावधान के लिए आवश्यक कोई भी उपकरण या सुविधाएं हवाई अड्डे पर या साइट पर स्थापित कर सकता है। हवाई अड्डे पर ऐसे उपकरणों या अन्य सुविधाओं को स्थापित करने में, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण हवाई अड्डे के सामान्य संचालन में किसी भी व्यवधान से बचने के लिए उचित उपाय करेगा। हवाई अड्डा कंपनी के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार कार्यों के कारण उत्पन्न होने वाले हवाई अड्डे के सामान्य संचालन में किसी भी व्यवधान के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि उनके द्वारा निर्मित, संचालित या अनुरक्षित सभी इमारतें, कार्य या सुविधाएं (यदि कोई हों) समय-समय पर डिजाइन और वास्तुकला दिशानिर्देशों तथा मास्टर प्लान के अनुरूप हों। इन सेवाओं के प्रावधान से संबंधित सभी लागतें (यानी पूंजी और संचालन दोनों) अकेले भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा वहन की जाएंगी।

5.3 हवाई अड्डा कंपनी के प्रचालनात्मक दायित्व

हवाई अड्डा खोलने की तिथि के पश्चात, हवाई अड्डा कंपनी निम्नलिखित कार्य करेगी:

- यह सुनिश्चित करेगी कि चरण I के लिए रनवे, टैक्सीवे, एप्रन और एप्रोच का निर्माण किया गया है और उन्हें हवाई अड्डे पर प्रस्तावित विमान संचालन के उपयुक्त प्रासंगिक ICAO एनेक्सेस और दस्तावेजों में निहित प्रावधानों के अनुसार बनाए रखा जाएगा और वे विमान संचालन के लिए उपलब्ध हैं।
- यह सुनिश्चित करेगी कि चरण I के लिए रनवे की पट्टियां, कंधे, स्टॉप वे और रेसा (RESA) तथा टैक्सीवे की पट्टियां और कंधे निर्मित किए गए हैं और उन्हें प्रासंगिक ICAO एनेक्सेस और दस्तावेजों के अनुसार बनाए रखा जाएगा।
- यह सुनिश्चित करेगी कि दृष्टिकोण और टेक-ऑफ क्षेत्र सहित हवाई अड्डे की बाधा सीमा सतहों को बाधाओं से मुक्त बनाए रखा जाएगा या बाधाओं को ICAO एनेक्सेस और MoCA वेबसाइट में GOI गजट अधिसूचना GSR 751 (E) (समय-समय पर संशोधित) के अनुसार स्वीकार्य सीमाओं तक सीमित किया जाएगा, जिसके लिए संरचनाओं की एनओसी प्रदान करने हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से संपर्क किया जाएगा।
- यह सुनिश्चित करेगी कि विभिन्न सीएनएस/एटीएम उपकरण सुविधाओं के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा पहचानी गई संवेदनशील और महत्वपूर्ण जगहों को किसी भी बाधा से मुक्त रखा जाएगा और इन क्षेत्रों में किसी भी बाधा की अनुमति नहीं दी जाएगी जो इन उपकरण सुविधाओं के कामकाज में बाधा डाल सकती है और विमान संचालन की सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है।
- यह सुनिश्चित करेगी कि बचाव और अग्निशमन सेवाओं की उचित श्रेणी ICAO एनेक्सेस और दस्तावेजों में निहित प्रावधानों के अनुसार उपलब्ध कराई जाएगी और बनाए रखी जाएगी।
- यह सुनिश्चित करेगी कि परिचालन क्षेत्र में और उसके आस-पास पक्षी उपद्रव को रोकने के लिए हवाई अड्डे पर उचित व्यवस्था की गई है।

- यह सुनिश्चित करेगी कि निम्नलिखित घटनाओं से निपटने के लिए हवाई अड्डे पर उपयुक्त आकस्मिक व्यवस्थाएं मौजूद हैं:
    - (i) रनवे से अक्षम विमान को हटाना।
    - (ii) विमान या हवाई अड्डे को बम से उड़ाने की धमकी।
    - (iii) हवाई अड्डे के आसपास विमान दुर्घटनाएं।
    - (iv) गैर-अनुसूचित विमान को हवाई अड्डे पर उतरने के लिए मजबूर होना।
    - (v) हवाई अड्डे पर आग लगना।
    - (vi) प्राकृतिक आपदाएं और विपत्तियां।
    - (vii) हवाई अड्डे और आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिक अशांति।
    - (viii) हवाई अड्डे पर नागरिक उड्डयन के साथ गैरकानूनी हस्तक्षेप को संभालने के लिए अपहरण के उपाय।
    - (ix) टर्मिनल बिल्डिंग या हवाई अड्डे पर किसी भी परिचालन क्षेत्र पर आतंकवादियों का हमला।
- यह सुनिश्चित करेगी कि नियंत्रण टॉवर को आपातकालीन सेवाओं (अग्नि, चिकित्सा और पुलिस) और हवाई अड्डा टर्मिनल प्रबंधक से जोड़ने के लिए आपातकालीन अलार्म घंटी स्थापित की गई हैं।
- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को उसके कर्मियों, वाहनों और एजेंटों के लिए हवाई अड्डे और सभी परिचालन क्षेत्रों तक ऐसी पहुंच प्रदान करेगी जैसी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण प्रचालनात्मक सेवाओं के प्रदर्शन के लिए उचित रूप से अपेक्षा करता है।
- हवाई अड्डा कंपनी की लागत पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को निम्नलिखित प्रदान करेगी:
    - (i) विद्युत शक्ति और पानी की दोहरी आपूर्ति जो इसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण प्रचालनात्मक सेवाएं करने के लिए पर्याप्त हो।
    - (ii) परिवहन सुविधा जो इसे भारतीय विमानपत्तन संचालन सेवाएं करने के लिए पर्याप्त हो। प्रदान किए जाने वाले परिवहन की संख्या हवाई अड्डा कंपनी और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा आपसी सहमति से तय की जाएगी।
    - (iii) ईपीएबीएक्स (EPABX) एक्सटेंशन, उपकरण कक्ष में एसटीडी सुविधा के साथ ऑटो टेलीफोन, फैक्स, हॉटलाइन, एटीसी में सेल फोन।
- इस हद तक कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यह निर्धारित करता है कि हवाई अड्डे के विस्तार के परिणामस्वरूप, हवाई अड्डे पर विद्युत शक्ति की अतिरिक्त स्टैंडबाय आपूर्ति की आवश्यकता है, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण हवाई अड्डा कंपनी को अपनी अतिरिक्त आवश्यकताओं की सूचना देगा और पक्ष भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा आवश्यक अतिरिक्त स्टैंडबाय आपूर्ति के संबंध में चर्चा करने तथा समझौते पर पहुंचने के लिए मिलेंगे।
- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और/या उसके कर्मियों को ऐसी जानकारी प्रदान करेगी जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण प्रचालनात्मक सेवाओं के प्रदर्शन के लिए उचित रूप से आवश्यक हो।
- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण सेवाओं के प्रावधान में हवाई अड्डे पर तैनात भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कर्मियों और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के एजेंटों को कार्यालय और नौवहन संबंधी सहायता/राडार के लिए इमारतें तथा सुविधा हर समय उपलब्ध कराएगी।

- अपनी लागत पर, प्रासंगिक ICAO एनेक्सेस और दस्तावेजों में निर्धारित प्रासंगिक मानकों के अनुसार एयरफील्ड प्रकाश व्यवस्था प्रणाली (Airfield Lighting System), मुख्य और स्टैंडबाय बिजली आपूर्ति प्रणालियों का रखरखाव करेगी।
- यह सुनिश्चित करेगी कि उसके कर्मचारी और एजेंट ऑपरेटिंग समन्वय प्रक्रिया के अनुसार, एयरफील्ड प्रकाश व्यवस्था प्रणाली में किसी भी विफलता या दोष तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को हवाई अड्डा कंपनी के किसी भी उपकरण की अनुपलब्धता की सूचना दें, जैसे ही उन्हें ऐसी विफलता या दोष के बारे में पता चलता है।
- आपात स्थिति को छोड़कर, पक्षों के बीच लिखित रूप में समय-समय पर संशोधित आपसी सहमति से तय ऑपरेटिंग समन्वय प्रक्रिया के अनुसार, हवाई अड्डा कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली किसी भी बुनियादी ढांचे या सुविधाओं के किसी भी प्रस्तावित बंद होने या वापसी के बारे में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सूचित करेगी।
- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के निर्देश पर, हवाई अड्डा कंपनी की लागत पर, रनवे या आवाजाही क्षेत्रों से किसी भी बाधा को हटाएगी और यह सुनिश्चित करेगी कि उसके कर्मचारी और एजेंट ऑपरेटिंग समन्वय प्रक्रिया या घटना रिपोर्टिंग प्रक्रिया के अनुसार, ऐसी किसी भी बाधा के बारे में पता चलने पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सूचित करें।
- हवाई अड्डे पर किसी भी परिवर्तन या संशोधन के कारणों के लिए, हवाई अड्डा कंपनी की लागत पर, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उपकरणों को स्थानांतरित करेगी।
- उन्नयन या विस्तार के मामले में, हवाई अड्डा कंपनी ICAO सिफारिशों से ऊपर और परे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उपकरणों के लिए कुल लागत का भुगतान करेगी, जिसका अनुरोध हवाई अड्डा कंपनी द्वारा किया गया है।
- विमान के ईटीए (ETA) की प्राप्ति पर विमान के लिए पार्किंग बे और एयरो ब्रिज आवंटित करेगी और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सूचित करेगी तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तदनुसार विमान का मार्गदर्शन करेगा। एप्रन नियंत्रण सेवाएं हवाई अड्डा कंपनी द्वारा प्रदान की जाएंगी।

6. सुविधा में परिवर्तन

6.1 परिवर्तन का अनुरोध

यदि प्रभावी तिथि के बाद भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) को सुविधा और/या कार्यालय आवास में किसी परिवर्तन या फेरबदल की आवश्यकता होती है, तो वह हवाई अड्डा कंपनी को ऐसी आवश्यकताओं के बारे में लिखित रूप में सूचित करेगा, जिसमें अनुरोध किए जा रहे परिवर्तन या फेरबदल का पूरा विवरण और ऐसे परिवर्तन या फेरबदल के कारण शामिल होंगे।

6.2 ऐसे परिवर्तन जो हवाई अड्डा कंपनी की लागत को प्रभावित नहीं करते

यदि खंड 6.1 के अनुसार एएआई द्वारा अनुरोधित परिवर्तन या फेरबदल चरण I (Phase I) को प्रभावित, विलंबित, बाधित या उसकी लागत में वृद्धि नहीं करते हैं, तो हवाई अड्डा कंपनी परिवर्तन को लागू करने के लिए आवश्यक उचित कदम उठाएगी।

यहाँ छवि में दिए गए अनुबंध के खंड (Clauses) 7 और 8.1 का हिंदी अनुवाद और विवरण दिया गया है:

7. राजस्व और शुल्क

7.1 रूट नेविगेशन सुविधाएं शुल्क

- संबंधित सेवाएं करने के एवज में, एएआई सीधे एयरलाइनों से रूट नेविगेशन फैसिलिटी चार्जेस ("RNFC") वसूलने का हकदार होगा और हवाई अड्डा कंपनी को ऐसे शुल्कों के संबंध में कोई देनदारी नहीं होगी.

7.2 टर्मिनल नेविगेशन लैंडिंग शुल्क

- एयरलाइनों द्वारा देय टर्मिनल नेविगेशन लैंडिंग चार्जेस ("TNLC") का भुगतान सीधे एयरलाइनों द्वारा एएआई को किया जाएगा और हवाई अड्डा कंपनी को ऐसे शुल्कों के संबंध में कोई देनदारी नहीं होगी.

7.3 संग्रहण

एएआई द्वारा रूट नेविगेशन फैसिलिटी चार्जेस या टर्मिनल नेविगेशन लैंडिंग चार्जेस को एकत्र करने में विफलता और/या किसी एयरलाइन द्वारा भुगतान करने में विफलता, एएआई को एएआई सेवाओं के प्रदर्शन या खंड 7.5 में निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के उसके दायित्व से किसी भी तरह से मुक्त नहीं करेगी.

- बशर्ते कि एएआई को रूट नेविगेशन फैसिलिटी चार्जेस और/या टर्मिनल नेविगेशन लैंडिंग चार्जेस का भुगतान करने में बार-बार डिफ़ॉल्ट करने वाली किसी विशेष एयरलाइन (एयरलाइनों) द्वारा विफलता की स्थिति में, एएआई के पास ऐसी एयरलाइन (एयरलाइनों) को एएआई सेवाएं न देने का पूरा अधिकार होगा और इसे इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार एएआई सेवाओं के प्रदर्शन में एएआई की ओर से डिफ़ॉल्ट नहीं माना जाएगा.

7.4 □□□□□□□-□□□□□□ □□□□□ □□□□□□

- खंड 5.1 में उल्लिखित सीएनएस-एटीएम (CNS-ATM) सेवाओं का प्रावधान लागत वसूली (cost recovery) के आधार पर होगा.
- इसके अलावा, एएआई द्वारा एकत्र किया गया TNLC राजस्व उस वर्ष के दौरान सीएनएस/एटीएम सेवाएं प्रदान करने की वास्तविक लागत से काट लिया जाएगा (लागत में आनुपातिक पूंजी लागत और स्टाफ लागत सहित सभी परिचालन लागत शामिल हैं).

- इसके अतिरिक्त, हवाई अड्डा कंपनी एएआई के पक्ष में 6 महीने के सीएनएस/एटीएम सेवा शुल्क के बराबर 3 साल की वैधता के साथ एक बैंक गारंटी देगी, जिसे अवधि समाप्त होने पर समय-समय पर नवीनीकृत (renew) कराना होगा.
- उस वर्ष के दौरान सीएनएस/एटीएम सेवाएं प्रदान करने की वास्तविक लागत (लागत में आनुपातिक पूंजी लागत और स्टाफ लागत सहित सभी परिचालन लागत शामिल हैं) और पहले 3 वर्षों में TNLC राजस्व के बीच यदि कोई घाटा (Deficit) होता है, तो उसे चौथे, पांचवें और छठे वर्ष से 12% ब्याज के साथ वसूला जाएगा.
- छठे वर्ष के अंत में यदि कोई असंबद्ध घाटा शेष रहता है, तो उसका भुगतान हवाई अड्डा कंपनी द्वारा एएआई को किया जाएगा.
- सातवें वर्ष से लागत और TNLC राजस्व के बीच का अधिशेष (Surplus) इस समझौते की वैधता तक एएआई को प्राप्त होता रहेगा.

7.5 एएआई द्वारा देय किराया शुल्क

- आवासीय आवास को छोड़कर, अनुसूची 2 में निर्धारित सुविधा और कार्यालय आवास प्रदान करने के एवज में एएआई द्वारा हवाई अड्डा कंपनी को कोई किराया शुल्क देय नहीं होगा.

8. सेवाओं के मानक और प्रदर्शन करने में विफलता

8.1 सेवाओं के मानक

8.1.1

- एएआई हर समय प्रासंगिक ICAO एनेक्सेस और दस्तावेजों (समय-समय पर संशोधित) में निर्धारित मानकों के अनुसार एएआई सेवाएं प्रदान करेगा और एएआई सेवाओं या एएआई उपकरणों के प्रावधान से संबंधित सभी खर्चों को वहन करेगा.

8.1.2

- एएआई यह सुनिश्चित करेगा कि उसके कर्मी, हवाई अड्डा कंपनी की लागत पर, किसी भी गुणवत्ता... *(नोट: यह वाक्य छवि के अंत में अधूरा है)*

छवि में दिए गए अनुबंध के खंड (Clauses) 8.2, 8.3 और 9 का हिंदी अनुवाद और विवरण नीचे दिया गया है:

- हवाई अड्डा कंपनी द्वारा किसी भी समय शुरू किए गए सुधार उपायों में एएआई सहायता करेगा और रियायत समझौते द्वारा अपेक्षित सेवा स्तर के मानकों को प्राप्त करने तथा बनाए रखने में हवाई अड्डा कंपनी की मदद करेगा।

8.2 अहस्तक्षेप

- एएआई यह सुनिश्चित करेगा कि उसके कर्मी और एजेंट हवाई अड्डे के डिजाइन, निर्माण, कमीशनिंग, पूर्णता, विकास, वित्तपोषण और/या रखरखाव में हस्तक्षेप न करें, बाधा न डालें या कोई व्यवधान पैदा न करें।
- हवाई अड्डा खुलने की तिथि या शुरुआती आंशिक कमीशनिंग के बाद, एएआई सेवाओं के प्रावधान के लिए आवश्यक होने के अलावा, एएआई हवाई अड्डे के संचालन में किसी भी तरह से हस्तक्षेप या बाधा नहीं डालेगा।

8.3 क्षतिपूर्ति

8.3.1

- प्रत्येक पक्ष दूसरी पक्ष और उसके ठेकेदारों, प्रमुखों (principals) और एजेंटों को किसी भी और सभी नुकसान, लागत, व्यय, देयता या क्षति के खिलाफ सुरक्षित रखेगा, उनका बचाव करेगा और उन्हें हानिरहित रखेगा।
- यह सुरक्षा उन दावों के संबंध में होगी जो पीड़ित पक्ष और उसके ठेकेदारों, प्रमुखों व एजेंटों पर लगाए गए हैं या उनके द्वारा भुगते गए हैं, जो किसी भी पक्ष के दायित्वों के प्रदर्शन (चाहे कार्य द्वारा या चूक द्वारा) से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, पूर्णतः या अंशतः उत्पन्न हुए हों (फोर्स मेजर की घटना को छोड़कर)। इसमें व्यक्तियों की मृत्यु, चोट या संपत्ति के नुकसान/क्षति के दावे भी शामिल हैं।

8.3.2 देयता

- पक्षों का इरादा है कि इस समझौते में निहित अधिकार, दायित्व और देयताएं इस समझौते से उत्पन्न होने वाले पक्षों के अधिकारों और दायित्वों का एक संपूर्ण विवरण होंगी।
- तदनुसार, इस समझौते और इसके तहत दर्ज किसी भी दस्तावेज में स्पष्ट रूप से बताए गए उपाय ही एक-दूसरे के प्रति देयताओं के लिए पक्षों के एकमात्र और अनन्य उपाय होंगे।

9. फोर्स मेजर / दैवीय आपदा

9.1 फोर्स मेजर

- यह खंड 9 तब लागू होगा जब इस समझौते के तहत किसी भी पक्ष ("प्रभावित पक्ष") के अपने दायित्वों का प्रदर्शन अनुसूची 4 में परिभाषित फोर्स मेजर के कारण पूर्णतः या अंशतः रोका जाता है, बाधित होता है या उसमें देरी होती है।

9.2 फोर्स मेजर के परिणाम

9.2.1 निष्पादन दायित्व

- प्रभावित पक्ष इस समझौते के तहत किसी भी दायित्व का पालन करने में विफलता या देरी के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

- प्रभावित पक्ष को अपने दायित्वों का पालन करने की आवश्यकता तब तक नहीं होगी जब तक ऐसी विफलता या देरी सीधे तौर पर फोर्स मेजर की किसी घटना के कारण हुई हो। ऐसे किसी भी दायित्व के प्रदर्शन के लिए अनुमत समय तदनुसार बढ़ा दिया जाएगा।

9.2.2 सूचना

- यदि प्रभावित पक्ष यह दावा करता है कि उसे फोर्स मेजर की किसी घटना के कारण इस समझौते के तहत अपने किसी भी दायित्व को पूरा करने से रोक दिया गया है, तो वह अन्य पक्षों को यथाशीघ्र सूचित करेगा। *(नोट: यह वाक्य छवि के अंत में अधूरा है)*

9.2.3 न्यूनीकरण

- प्रभावित पक्ष फोर्स मेजर की घटना के प्रभाव को कम करने के लिए सभी उचित कदम उठाएगा.

10. अवधि और समाप्ति

10.1 हवाई अड्डा कंपनी की समाप्ति की घटनाएं

एएआई हवाई अड्डा कंपनी को समाप्ति का नोटिस जारी करने का हकदार होगा, यदि:

- (a) हवाई अड्डा कंपनी इस समझौते के तहत देय किसी भी राशि का भुगतान नियत तारीख पर करने में विफल रहती है और एएआई से डिफ़ॉल्ट निर्दिष्ट करने और इसे सुधारने की आवश्यकता वाले नोटिस की प्राप्ति के 90 (नब्बे) दिनों के भीतर ऐसी विफलता को सुधारा नहीं जाता है;
- (b) हवाई अड्डा कंपनी के परिसमापन, दिवालियापन या विघटन के लिए कोई आदेश दिया जाता है या कोई प्रस्ताव पारित किया जाता है, जिसे उसके 90 (नब्बे) दिनों के भीतर रद्द या वापस नहीं लिया जाता है;
- (c) हवाई अड्डा कंपनी इस समझौते में किसी भी दायित्व (धन भुगतान के दायित्व को छोड़कर) का पालन करने में इस हद तक विफल रहती है जिसका एएआई के अधिकारों और दायित्वों पर महत्वपूर्ण और प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और यदि सुधार करने में सक्षम है, तो एएआई से नोटिस प्राप्त करने के 30 (तीस) दिनों की अवधि के लिए ऐसी विफलता जारी रहती है। बशर्ते कि एएआई ऐसा समाप्ति नोटिस जारी करने का हकदार नहीं होगा यदि ऊपर (a), (b) और/या (c) में निर्धारित घटनाएं और/या परिस्थितियां फोर्स मेजर का परिणाम हैं।
- (d) रियायत समझौते के तहत, भारत सरकार (GOI) द्वारा इस समझौते को समाप्त करने का निर्देश दिया जाता है;
- (e) रियायत समझौता समाप्त कर दिया जाता है;

- और आगे प्रत्येक मामले में यह प्रावधान है कि हवाई अड्डा कंपनी द्वारा समय पर सुधारात्मक कार्रवाई को भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार या एएआई द्वारा रोका नहीं गया हो।

10.2 एएआई समाप्ति की घटनाएं

यदि लागू कानून रियायत समझौते में उपयुक्त संशोधनों के अधीन, हवाई अड्डा कंपनी को सीएनएस/एटीएम सेवाएं करने की अनुमति देते हैं, तो हवाई अड्डा कंपनी एएआई को समाप्ति का नोटिस जारी करने की हकदार होगी।

10.3 समाप्ति नोटिस का प्रभाव

यदि इस खंड 10 के अनुसार एएआई या हवाई अड्डा कंपनी द्वारा समाप्ति का नोटिस दिया जाता है, तो समाप्ति के नोटिस की सेवा की तारीख के बाद 90 (नब्बे) दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी समय, जब तक कि समाप्ति का नोटिस जारी करने वाली परिस्थितियों को पूरी तरह से सुधारा नहीं गया हो या लागू होना बंद न हो गया हो, समाप्ति का नोटिस जारी करने वाला पक्ष इस समझौते को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर सकता है।

10.4 समाप्ति के परिणाम

10.4.1

यदि यह समझौता हवाई अड्डा कंपनी द्वारा इस खंड 10.2 के तहत समाप्त होता है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि एएआई सेवाओं की अनुपलब्धता के कारण हवाई अड्डे का संचालन बंद न हो, एएआई... *(नोट: पाठ छवि के अंत में अधूरा है)*

यहाँ छवि में दिए गए अनुबंध के खंड (Clauses) 10.4.1 (शेष भाग), 10.4.2, 10.4.3, 11 और 12 का हिंदी अनुवाद और विवरण दिया गया है:

- ...तत्काल भारत सरकार (GOI) को 'जैसी है जहाँ है' (as-is-where-is) की स्थिति में आपसी सहमति की शर्तों पर उन सभी एएआई उपकरणों, मैनुअल, चार्ट और अन्य ज्ञापनों को सौंप देगा जो एएआई सेवाओं के निष्पादन में एएआई द्वारा तैयार किए गए हैं, ताकि भारत सरकार को 1994 के एएआई अधिनियम की धारा 38 के अनुसार तुरंत कार्रवाई करने में सक्षम बनाया जा सके। एएआई उपर्युक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार को सभी आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा।

10.4.2

- इसके बाद किसी तीसरे पक्ष के माध्यम से, हवाई अड्डा कंपनी द्वारा प्रदान की जाने वाली एएआई सेवाओं के समतुल्य सेवाएं प्राप्त करने के लिए उचित कदम उठाने हेतु भारत सरकार से परामर्श करना हवाई अड्डा कंपनी का एकमात्र विवेक होगा। एएआई उपर्युक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हवाई अड्डा कंपनी को सभी आवश्यक सहयोग प्रदान करेगा।

10.4.3

- यह इस समझौते के तहत उपलब्ध किसी भी पक्ष के अधिकार या उपायों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

11. असाइनमेंट

11.1 एएआई द्वारा असाइनमेंट

- इसमें विपरीत रूप से निहित किसी भी बात के बावजूद, एएआई हवाई अड्डा कंपनी की पूर्व लिखित सहमति के बिना इस समझौते के तहत अपने सभी या किसी भी अधिकार या दायित्व को असाइन या अन्यथा हस्तांतरित नहीं करेगा, बशर्ते कि एएआई के अधिकारों या दायित्वों का ऐसा असाइनमेंट या स्थानांतरण किसी कानून के अधिनियमन के अनुसरण में हो। ऐसा समनुदेशिती (assignee) या अंतरिती (transferee) इस समझौते के नियमों और शर्तों से बाध्य होगा।

11.2 हवाई अड्डा कंपनी द्वारा असाइनमेंट

- इसमें विपरीत रूप से निहित किसी भी बात के बावजूद, लेकिन खंड 14.6 के अधीन रहते हुए, हवाई अड्डा कंपनी एएआई की पूर्व लिखित सहमति के बिना इस समझौते के तहत अपने अधिकारों या दायित्वों के सभी या किसी भी हिस्से को असाइन या अन्यथा हस्तांतरित नहीं करेगी, बशर्ते कि हवाई अड्डा कंपनी, ऐसी पूर्व लिखित सहमति के बिना, लेकिन एएआई को पूर्व लिखित सूचना देकर, निम्न कार्य कर सकती है:
    - (a) इसके तहत अपने सभी या अधिकांश अधिकारों और दायित्वों को अपने सहयोगी (Affiliate) को स्थानांतरित करना;
    - (b) रियायत समझौते के नियमों के अनुसार हवाई अड्डा कंपनी में स्वामित्व हितों के खरीदार को यहाँ अपने अधिकारों और दायित्वों के सभी या किसी भी हिस्से को स्थानांतरित करना;
    - (c) किसी भी वित्तपोषण समझौते के तहत देय राशि के लिए संपार्श्विक सुरक्षा (collateral security) के रूप में इस समझौते के तहत हवाई अड्डा कंपनी के अधिकारों को वरिष्ठ ऋणदाताओं (Senior Lenders) को स्थानांतरित करना, जिसके तहत हवाई अड्डा कंपनी ने पैसा उधार लिया है; या
    - (d) रियायत समझौते की शर्तों के अनुसार यहाँ अपने सभी या अधिकांश अधिकारों और दायित्वों को भारत सरकार को स्थानांतरित करना।

12. विवाद समाधान

12.1 बातचीत और सुलह

- पक्ष इस समझौते से उत्पन्न होने वाले, इसके संबंध में या इसके संदर्भ में पक्षों के बीच किसी भी विवाद, मतभेद, दावे, प्रश्न या विवाद ("विवाद") को बातचीत के माध्यम से आपस में सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए अपने-अपने उचित प्रयास करेंगे।

12.2 मध्यस्थ को संदर्भ

- विवादों के निपटारे से संबंधित प्रासंगिक स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण कानून में निहित किसी भी बात के अधीन, कोई भी विवाद जिसे पक्षकार लिखित अधिसूचना के 60 (साठ) दिनों के भीतर (या ऐसी लंबी अवधि के लिए जैसा कि पक्षकार सहमत हो सकते हैं) खंड 12.1 के अनुसार हल करने में असमर्थ हैं

12.3 विविध (Miscellaneous)

- मध्यस्थता का स्थान नई दिल्ली होगा।
- प्रत्येक पक्ष मध्यस्थता नियमों के अनुसार मध्यस्थता के खर्च का भुगतान करेगा और लागत के लिए अंतिम दायित्व मध्यस्थ के निर्णय (arbitral award) के अनुसार होगा।
- कोई भी मध्यस्थ किसी भी पक्ष का वर्तमान या पूर्व कर्मचारी या एजेंट, या परामर्शदाता या वकील, या पक्षों से किसी भी तरह से संबंधित या निकट रूप से जुड़ा हुआ नहीं होगा।
- मध्यस्थता की भाषा अंग्रेजी होगी।

12.4 निर्णय / पंचाट (Decision/Award)

- इस खंड 12 के तहत नियुक्त एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण का कोई भी निर्णय या पंचाट पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- पक्ष किसी भी सक्षम अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा ऐसे पंचाट की किसी भी अपील या किसी भी समीक्षा के अधिकारों को छोड़ते हैं, जहाँ तक ऐसा त्याग वैध रूप से किया जा सकता है।
- पक्ष सहमत हैं कि कोई भी मध्यस्थ पंचाट प्रासंगिक पक्ष की संपत्ति के खिलाफ पक्षों द्वारा लागू किया जा सकता है, चाहे वे संपत्ति कहीं भी स्थित हों या पाई जाएं, और किसी भी मध्यस्थ पंचाट पर निर्णय (जहां आवश्यक हो) उसके किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा दर्ज किया जा सकता है।
- पक्षकार किसी भी मध्यस्थ पंचाट को लागू करने के प्रयोजनों के लिए ऐसे किसी भी न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्पष्ट रूप से प्रस्तुत होते हैं।

13. बीमा का रखरखाव

13.1 बीमा प्राप्त करना

- एएआई, हवाई अड्डा कंपनी से लागत वसूली के आधार पर, हर समय अपनी संपत्ति को हुए नुकसान या क्षति, तीसरे पक्ष की देनदारी, कामगारों की मुआवज़ा नीति और अच्छी उद्योग प्रथाओं के अनुसार आवश्यक या विवेकपूर्ण समझे जाने वाले किसी अन्य बीमा को कवर करने के लिए आवश्यक बीमा प्रभावी करेगा और बनाए रखेगा।
- हवाई अड्डा कंपनी तथा वरिष्ठ ऋणदाताओं (Senior Lenders) को इस समझौते के तहत एएआई की बीमा पॉलिसियों के तहत सह-बीमाकृत (co-insured) के रूप में नामित किया जाएगा।

13.2 पॉलिसियां

- खंड 13.1 के तहत प्राप्त और बनाए जाने वाले अपेक्षित बीमा के संबंध में कोई भी बीमा पॉलिसी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के 30 (तीस) दिनों के भीतर, एएआई हवाई अड्डा कंपनी को सूचित करेगा कि ऐसे बीमा प्राप्त कर लिए गए हैं।
- यदि वरिष्ठ ऋणदाताओं द्वारा अनुरोध किया जाता है, तो एएआई हवाई अड्डा कंपनी को ऐसे पॉलिसी प्रमाण पत्र की प्रतियां, बीमा पॉलिसियों की प्रतियां और इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करेगा कि इस तरह के बीमा के संबंध में बीमा प्रीमियम का भुगतान कर दिया गया है।
- एएआई द्वारा हवाई अड्डा कंपनी को इस तरह के रद्दीकरण, संशोधन या गैर-नवीनीकरण के कम से कम 45 (पैंतालीस) दिनों के नोटिस की समाप्ति तक किसी भी बीमा को रद्द, संशोधित या समाप्त/लैप्स होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

13.3 बीमा कराने में विफलता का उपाय

- यदि एएआई उन सभी बीमाओं को प्रभावी करने और बल में रखने में विफल रहता है जिसके लिए वह इसके तहत जिम्मेदार है, तो हवाई अड्डा कंपनी के पास ऐसे किसी भी बीमा को बल में रखने, और ऐसे प्रीमियम का भुगतान करने तथा एएआई से उसकी लागत वसूलने का विकल्प होगा।

13.4 बीमा आय का अनुप्रयोग

- इस समझौते के तहत एएआई को भुगतान किए जाने वाले सभी बीमा दावे, भौतिक क्षति से संबंधित बीमा आय को छोड़कर, क्षतिग्रस्त संपत्ति के पुनर्निर्माण के लिए लागू किए जाएंगे।

14. विविध प्रावधान

14.1 सूचनाएं

14.1.1 लिखित रूप में संचार

- ऑपरेटिंग समन्वय प्रक्रिया और घटना रिपोर्टिंग प्रक्रिया को छोड़कर, इस समझौते के तहत या इसके संबंध में की जाने वाली कोई भी संचार प्रक्रिया लिखित रूप में होगी और, जब तक अन्यथा न कहा जाए, ईमेल, फैक्स या पत्र द्वारा की जा सकती है।

14.1.2 पते

- इस समझौते के तहत या इसके संबंध में संचार या दस्तावेज भेजने या वितरित करने के लिए प्रत्येक पक्ष का पता, ईमेल और फैक्स नंबर (तथा विभाग या अधिकारी, यदि कोई हो, जिसके ध्यान में संचार किया जाना है) इस प्रकार है:

हवाई अड्डा कंपनी को:

- **पता:** फर्स्ट फ्लोर, टर्मिनल 1, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सांताक्रूज (पूर्व), मुंबई – 400 099
- **ईमेल:** sanjayreddy@gvk.com
- **फैक्स नंबर:** +91-22-66851618
- **ध्यान दें (Attention):** श्री संजय रेड्डी, प्रबंध निदेशक (Managing Director)

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) को:

- **पता:** राजीव गांधी भवन, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली – 110 003, भारत
- **फैक्स नंबर:** +91-11-24641088
- **ध्यान दें (Attention):** अध्यक्ष (Chairman)
- या कोई अन्य वैकल्पिक पता, फैक्स नंबर या विभाग या अधिकारी जिसे कोई पक्ष कम से कम 5 (पाँच) व्यावसायिक दिनों के नोटिस द्वारा दूसरे पक्ष को सूचित कर सकता है।

14.1.3 मानी गई डिलीवरी

- इस समझौते में अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर, इस समझौते के तहत या इसके अनुसरण में कोई भी संचार, प्राप्तकर्ता द्वारा प्राप्त किया हुआ माना जाएगा (यदि फैक्स/ईमेल द्वारा भेजा जाता है) उस स्थान पर अगले कार्य दिवस पर जहाँ इसे भेजा जाता है या (किसी अन्य मामले में) जब खंड 14.1.2 द्वारा अपेक्षित पते पर छोड़ा जाता है या उस पते पर संबोधित और पूर्व-भुगतान पंजीकृत डाक द्वारा भेजे जाने के बाद ऐसे 10 (दस) कार्य दिवसों के भीतर।
- इन उद्देश्यों के लिए, कार्य दिवस शनिवार, रविवार और राजपत्रित छुट्टियों के अलावा अन्य दिन हैं।

14.2 पृथक्करणीयता

- इस समझौते के किसी भी पूर्ववर्ती खंड या प्रावधान की पूर्णतः या अंशतः अमान्यता या अपरिवर्तनीयता, ऐसे खंडों या प्रावधानों के शेष भाग की वैधता या प्रवर्तनीयता को प्रभावित नहीं करेगी।
- इस समझौते का कोई भी महत्वपूर्ण प्रावधान अमान्य या अपरिवर्तनीय पाए जाने की स्थिति में, पक्ष इस समझौते को यथासंभव इसके मूल इरादे और प्रभाव के करीब बहाल करने के लिए ऐसे अमान्य या अपरिवर्तनीय प्रावधान को बदलने के लिए सद्भावना से तुरंत नए प्रावधानों पर पुनर्विचार करेंगे।

14. विविध प्रावधान - जारी

14.3 संपूर्ण समझौता

- इस समझौते में, इसकी अनुसूचियों सहित, इस समझौते के विषय वस्तु के संबंध में एएआई और हवाई अड्डा कंपनी के बीच संपूर्ण समझौता शामिल है और यह इस तरह की विषय वस्तु के संबंध में लिखित या मौखिक रूप से किए गए अन्य सभी समझौतों का स्थान लेता है।

14.4 संशोधन

- दोनों पक्षों द्वारा लिखित रूप में सहमति दिए जाने के अलावा कोई भी संशोधन, परिवर्तन या अन्य बदलाव किसी भी पक्ष पर बाध्यकारी नहीं होगा।

14.5 अतिरिक्त दस्तावेज और कार्रवाई

- हवाई अड्डा कंपनी को वाणिज्यिक संचालन शुरू करने में सक्षम बनाने के लिए 2 (दो) वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए डीजीसीए से हवाई अड्डा लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवश्यक सभी कदम उठाने होंगे, और उसके बाद, तुरंत पूर्ववर्ती 2 (दो) वर्ष की अवधि के लिए जारी किए गए हवाई अड्डा लाइसेंस की समाप्ति से पहले इसे 2 (दो) वर्ष की और अवधि के लिए नवीनीकृत कराना होगा। समय-समय पर ऐसा लाइसेंस प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए, एएआई लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवश्यक अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेगा और सीएनएस/एटीएम सेवाओं के संबंध में डीजीसीए की सभी चेतावनियों के अनुरूप हवाई अड्डा कंपनी और डीजीसीए की सहायता करेगा।
- प्रत्येक पक्ष निष्पादित करने और दूसरे पक्ष को ऐसे अतिरिक्त दस्तावेज वितरित करने, और ऐसे अतिरिक्त कदम उठाने तथा सहयोग प्रदान करने के लिए सहमत है, जैसा कि इस समझौते द्वारा परिकल्पित लेनदेन को पूरा करने और इसके इरादे को प्रभावी करने के लिए उचित रूप से आवश्यक हो सकता है।

14.6 प्रत्यक्ष समझौता

- एएआई, वरिष्ठ ऋणदाताओं के अनुरोध पर, इस समझौते के लिए अनुसूची 5 के रूप में संलग्न फॉर्म के अनुसार वरिष्ठ ऋणदाताओं के साथ एक प्रत्यक्ष समझौता करेगा, जिसके तहत, अन्य बातों के अलावा, एएआई इस समझौते के तहत अपने समाप्ति के अधिकार का प्रयोग करने के अपने किसी भी इरादे की पूर्व सूचना देने के लिए सहमत है, ऐसे वरिष्ठ ऋणदाताओं को हवाई अड्डा कंपनी की ओर से डिफ़ॉल्ट को सुधारने का अधिकार देता है, और/या ऐसे वरिष्ठ ऋणदाताओं को कुछ परिस्थितियों में इस समझौते के तहत हवाई अड्डा कंपनी की जिम्मेदारियों को पूरा करने और लाभ उठाने के लिए खुद को प्रतिस्थापित करने या तीसरे पक्ष के प्रतिस्थापन को नियुक्त करने की अनुमति देता है।

14.7 देर से भुगतान के लिए ब्याज

- इस समझौते के अनुसार किसी पक्ष को देय कोई भी राशि जो भुगतान देय होने की तारीख के बाद अवैतनिक रहती है, उस पर ब्याज लगेगा (निर्णय से पहले और बाद दोनों), ऐसा ब्याज दिन-प्रतिदिन के आधार पर तब से अर्जित होगा जब भुगतान देय था जब तक कि ऐसी राशि भारतीय रिजर्व बैंक की प्रधान ऋण दर से 2 (दो) प्रतिशत ऊपर की दर से पूर्ण भुगतान नहीं की जाती है।

14.8 कोई साझेदारी नहीं

- न तो यह समझौता और न ही कोई अन्य समझौता या व्यवस्था जिसका यह हिस्सा है, और न ही ऐसे किसी समझौते या व्यवस्था के तहत पक्षों द्वारा अपने-अपने दायित्वों का निष्पादन, पक्षों के बीच साझेदारी का गठन करेगा। किसी भी पक्ष के पास किसी अन्य पक्ष को अपने एजेंट के रूप में या अन्यथा बाध्य करने का कोई अधिकार नहीं होगा (जब तक कि इस समझौते के आधार पर या अन्यथा लिखित रूप में स्पष्ट रूप से प्रदान न किया गया हो और रद्द न किया गया हो)।

14.9 कोई तीसरे पक्ष का लाभार्थी नहीं

- यह समझौता यहाँ के पक्षों के एकमात्र और अनन्य लाभ के लिए है और, इसके तहत वरिष्ठ ऋणदाताओं को स्पष्ट रूप से दिए गए अधिकारों को छोड़कर, किसी तीसरे पक्ष के पक्ष में कोई संविदात्मक संबंध या कार्रवाई का कारण नहीं बनाएगा।

14.10 समकक्ष

- यह समझौता एक या अधिक समकक्षों में निष्पादित किया जा सकता है जिनमें से प्रत्येक को मूल माना जाएगा और जिनमें से सभी को एक ही समझौता माना जाएगा।

14.11 समय ही सार है

- इस समझौते में समय ही सार होगा, दोनों तारीखों, अवधियों या दिन के समय का उल्लेख किया गया है और किसी भी तारीख, अवधि या दिन के समय के संबंध में जो इस समझौते के अनुसार उनके लिए प्रतिस्थापित किया जा सकता है।

14.12 समय की गणना

- इस समझौते में संदर्भित समय भारतीय मानक समय में हैं। इस समझौते के तहत निर्धारित या अनुमति प्राप्त किसी भी समय की अवधि की गणना करने में, उस कार्य, घटना या डिफ़ॉल्ट के दिन को शामिल किया जाएगा जिससे निर्धारित समयावधि शुरू होती है। यदि इस प्रकार गणना की गई अवधि का अंतिम दिन व्यावसायिक दिन नहीं है, तो अवधि अगले व्यावसायिक दिन के अंत तक चलेगी।

14.13 शासक भाषा

- इस समझौते की व्याख्या को नियंत्रित करने वाली भाषा अंग्रेजी भाषा है। किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे को दिए जाने वाले सभी आवश्यक नोटिस और अन्य सभी संचार और प्रलेखन जो इस समझौते के लिए किसी भी तरह से प्रासंगिक हैं और जो इस समझौते के निष्पादन, कार्यान्वयन और समाप्ति के लिए प्रासंगिक हैं, किसी भी विवाद समाधान कार्यवाही तक सीमित नहीं हैं, अंग्रेजी भाषा में होंगे।

14.14 शासक कानून और क्षेत्राधिकार

- यह समझौता भारत के लागू कानूनों के अनुसार शासित और उसके अनुसार व्याख्यायित किया जाएगा। नई दिल्ली की अदालतें इस समझौते से उत्पन्न होने वाले या इससे संबंधित सभी मामलों पर अधिकार क्षेत्र रखती हैं।

14.15 एएआई द्वारा किए गए वादे

एएआई बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से:

- (a) सहमत है कि, इस समझौते या इस समझौते द्वारा परिकल्पित किसी भी लेनदेन के संबंध में किसी भी क्षेत्राधिकार में इसके या इसकी संपत्ति के खिलाफ कोई भी कार्यवाही लाई जानी चाहिए, इसके द्वारा या इसकी ओर से या इसकी संपत्ति के संबंध में ऐसी कार्यवाही से कोई उन्मुक्ति का दावा नहीं किया जाएगा;
- (b) किसी भी क्षेत्राधिकार में ऐसी किसी भी कार्यवाही में इसके खिलाफ किसी भी निर्णय या पंचाट के प्रवर्तन के संबंध में आम तौर पर किसी भी राहत देने या ऐसी कार्यवाही के संबंध में किसी प्रक्रिया को जारी करने की सहमति देता है (किसी भी संपत्ति के संबंध में या उसके संबंध में किसी भी ऐसे निर्णय या पंचाट या किसी भी ऐसे निर्णय या पंचाट से उत्पन्न होने वाले किसी भी आदेश के निर्माण, प्रवर्तन या निष्पादन सहित, इसके उपयोग या इच्छित उपयोग के बावजूद)।

(यह समझौता शुरुआत में बताई गई तारीख को निष्पादित किया गया है)

अनुसूची 1 - हवाई अड्डे पर उपकरण

भाग 1: हवाई अड्डा कंपनी के उपकरण

- रनवे
- रनवे प्रकाश व्यवस्था और मार्किंग
- टैक्सीवे
- टैक्सीवे प्रकाश व्यवस्था और मार्किंग
- साइनेज
- एप्रन
- एप्रन प्रकाश व्यवस्था और मार्किंग
- सुविधा
- एएआई उपकरणों से संबंधित सिविल कार्य (केवल फाउंडेशन)
- PAPI और अप्रोच प्रकाश व्यवस्था
- एयरोड्रोम बीकन (टॉवर पर)
- लैंडिंग दिन और रात की मार्किंग
- हवा की दिशा संकेतक (प्रकाशित)
- आइसोलेशन बे
- माध्यमिक बिजली की आपूर्ति
- ATC और हवाई अड्डा दमकल दल के बीच हॉट लाइनें
- क्रैश बेल, केबलिंग और सायरन
- एयरफील्ड प्रकाश व्यवस्था के लिए नियंत्रण पैनल और निगरानी प्रणाली
- दृश्य सहायता का उन्नयन (भविष्य)
- परिचालन क्षेत्र के लिए पहुंच सड़कें, नेविगेशन सहायता/राडार और हवाई अड्डे की साइट की पहुंच सड़कें
- एएआई कर्मियों और उसके एजेंटों के लिए कार्यालय और आवासीय
- नेविगेशनल सहायता/राडार स्थापना के लिए इमारतें
- एटीसी में ईपीएबीएक्स एक्सटेंशन, एसटीडी सुविधा के साथ ऑटो टेलीफोन, फैक्स, हॉटलाइन और सेल फोन)
- ICAO विनिर्देश के अनुसार सिग्नल
- एटीसी टॉवर में प्रिंटर और इंटरनेट कनेक्शन के साथ कंप्यूटर

भाग 2: एएआई उपकरण

- एएआई, प्रस्तावित विमान संचालन के लिए आवश्यक प्रासंगिक ICAO एनेक्सेस और दस्तावेजों (समय-समय पर संशोधित) में निहित प्रावधानों के अनुसार सीएनएस-एटीएम उपकरण प्रदान करेगा, जिसमें न्यूनतम निम्नलिखित उपकरण प्रदान किए जाते हैं:
    1. सहायक उपकरण के साथ VHF कम्युनिकेशन सेट
    2. डीवीओआर/ डीएमई या एनडीबी
    3. वॉयस रिकॉर्डर
    4. आईएलएस (श्रेणी-III) और एलपी डीएमई
    5. जीपीएस क्लॉक सिस्टम
    6. एएसआर
    7. एएसएमजीसीएस
    8. एटीएम ऑटोमेशन सिस्टम

अनुसूची 2 - सुविधा

- **1. नियंत्रण टॉवर और तकनीकी ब्लॉक :** हवाई अड्डा कंपनी आवश्यकतानुसार विभिन्न एटीएस (ATS) इकाइयों, नेविगेशनल-एड्स और रडार बिल्डिंग को रखने के लिए नियंत्रण टॉवर और तकनीकी ब्लॉक उपलब्ध कराएगी. तकनीकी ब्लॉक का कुल अधिकतम निर्मित / निर्मित क्षेत्र 2,000 वर्ग मीटर होगा.
- **2. कार्यालय आवास :** हवाई अड्डा कंपनी अपने कर्मियों के लिए कार्यालय उपलब्ध कराएगी. कार्यालय आवास का अधिकतम क्षेत्रफल 1000 वर्ग मीटर होगा.
- **3. कार पार्किंग :** हवाई अड्डा कंपनी अपने कर्मियों के लिए हवाई अड्डे पर अधिकतम 25 (पच्चीस) कार पार्किंग स्थान उपलब्ध कराएगी. ये हवाई अड्डे पर अलग-अलग स्थानों पर स्थित हो सकते हैं.
- **4. स्टैंडबाय आपूर्ति :** हवाई अड्डा कंपनी एएआई सेवाओं के प्रावधान के लिए हवाई अड्डे पर एएआई को पर्याप्त स्टैंडबाय विद्युत क्षमता उपलब्ध कराएगी.
- **5. एयर कंडीशनिंग और हाउसकीपिंग :** हवाई अड्डा कंपनी नियंत्रण टॉवर, तकनीकी ब्लॉक और कार्यालय आवास के लिए एयर कंडीशनिंग और हाउसकीपिंग सेवाएं प्रदान करेगी.
- **6. एएआई कर्मियों को आवासीय आवास :** रियायत समझौते के अनुसार रियायतग्राही (Concessionaire) द्वारा बनाए जाने वाले प्रस्तावित आरक्षित आवास (200 इकाइयों) में से एएआई कर्मियों के लिए उचित संख्या में आवासीय आवास प्रदान किए जाएंगे. यदि कोई कमी होती है, तो हवाई अड्डा कंपनी अपने कर्मियों को आवासीय आवास प्रदान करने के लिए एएआई द्वारा देय किराए की प्रतिपूर्ति करेगी. एएआई कर्मचारियों की ओर से एएआई द्वारा भुगतान किया जाने वाला आवासीय आवास का लाइसेंस शुल्क, DPE दिशानिर्देशों के अनुसार होगा.

सीएनएस/एटीएम सेवाएं (CNS/ATM Services)

- एएआई हवाई अड्डे पर उपयुक्त रूप से ऐसी हवाई क्षेत्र की पार्श्व (lateral) और ऊर्ध्वाधर (vertical) सीमाओं के भीतर हवाई क्षेत्र कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार निम्नलिखित सेवाएं प्रदान करेगा और उनके लिए समन्वय करेगा:
    1. एरोड्रम कंट्रोल सर्विस जिसमें सरफेस मूवमेंट कंट्रोल और एप्रन कंट्रोल सर्विस शामिल है;
    2. एप्रोच कंट्रोल और एप्रोच रडार कंट्रोल सर्विस (यदि नियोजित हो);
    3. एयरोनॉटिकल मोबाइल सर्विस (AMS), एयरोनॉटिकल फिक्सड सर्विस (AFS), एयरोनॉटिकल इंफॉर्मेशन सर्विस (AIS), फ्लाइट इंफॉर्मेशन सर्विस, एडवाइजरी सर्विस, अलर्टिंग सर्विस और सर्च एंड रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सर्विसेज जैसी संबंधित सेवाएं.
- यह सब प्रासंगिक ICAO एनेक्सेस और दस्तावेजों (समय-समय पर संशोधित) में निहित प्रावधानों के अनुसार और प्रस्तावित विमान संचालन के लिए आवश्यक रूप से होगा.

अनुसूची 4 - फोर्स मेजर की परिभाषा

इस समझौते में, "फोर्स मेजर" का अर्थ किसी ऐसे कृत्य, घटना या परिस्थिति या कृत्यों, घटनाओं और परिस्थितियों के संयोजन से है, जिन्हें प्रभावित पक्ष के उचित नियंत्रण से परे

माना गया है और जिन्हें प्रभावित पक्ष अच्छी उद्योग प्रथा द्वारा या किसी सुविधा के निर्माण के संबंध में उचित कौशल और सावधानी के साथ रोक नहीं सकता था, और जो इस समझौते के तहत अपने किसी भी दायित्व के प्रदर्शन को रोकती, बाधित करती या उसमें देरी करती है.

"फोर्स मेजर" में निम्नलिखित घटनाएं और परिस्थितियां शामिल हैं:

- **ए. निम्नलिखित प्रकार के कृत्य, घटनाएं या परिस्थितियां:**
  - (i) भारत के भीतर काम के निष्पादन या भारत के भीतर माल या सेवाओं की आपूर्ति पर नियोजित किसी भी पक्ष या उसके ठेकेदारों, या उनके संबंधित उप-ठेकेदारों, सेवकों या एजेंटों से जुड़े हड़ताल, ताला-बंदी या अन्य औद्योगिक कार्रवाई या श्रम विवाद;
  - (ii) बिजली चमकना, भूकंप, आंधी, चक्रवात, तूफान, बवंडर, बाढ़, भूस्खलन, मिट्टी का कटाव, धंसना, सूखा या पानी की कमी, और अन्य असामान्य या अत्यधिक प्रतिकूल मौसम या पर्यावरणीय स्थितियां, उल्कापिंड या विमान या अन्य हवाई उपकरणों से गिरने वाली वस्तुएं, सुपरसोनिक गति से यात्रा करने वाले विमानों या अन्य हवाई उपकरणों के कारण होने वाली दबाव तरंगों की घटना, आग या विस्फोट, रासायनिक या रेडियोधर्मी संदूषण या आयनकारी विकिरण;
  - (iii) हवाई अड्डे पर कोई भी दुर्घटना;
  - (iv) हवाई अड्डे में शामिल करने के लिए अभिप्रेत पारगमन के दौरान कार्गो की कोई भी आकस्मिक हानि या क्षति, जो हवाई अड्डा खुलने की तारीख से पहले हुई हो;
  - (v) हवाई अड्डे को नुकसान या गंभीर आकस्मिक क्षति;
  - (vi) महामारी;
  - (vii) युद्ध का कार्य (घोषित या अघोषित), आक्रमण, सशस्त्र संघर्ष या विदेशी दुश्मन का कार्य, नाकाबंदी, प्रतिबंध, क्रांति, दंगा, बम या नागरिक उपद्रव;
  - (viii) तोड़फोड़, आतंकवाद या ऐसे कृत्यों की धमकी;
  - (ix) भगवान का कृत्य (Act of God); या
  - (x) पूर्ववर्ती के समान प्रकृति का कोई भी कृत्य, घटना या परिस्थिति.
- **बी. बशर्ते कि निम्नलिखित में से कोई भी मामला या परिणाम फोर्स मेजर का गठन या कारण बनने में सक्षम नहीं होगा:**
  - (i) भुगतान करने में विफलता या असमर्थता; या
  - (ii) बाजार की स्थिति के प्रभाव, जब तक कि ऐसी बाजार स्थिति स्वयं फोर्स मेजर की घटना के कारण या परिणाम न हों.
- **और आगे बशर्ते कि** पैरा (A) में ऊपर संदर्भित कोई भी कृत्य, घटना या परिस्थिति जो मुख्य रूप से किसी तीसरे पक्ष या पक्षों को प्रभावित करती है (बिना किसी सीमा के, हवाई अड्डे के निर्माण, ठेकेदार या ऑपरेटर, किसी पक्ष के सहयोगी या किसी पक्ष या उसके सहयोगियों के उप-ठेकेदारों सहित), जो किसी पक्ष को उसके दायित्वों के प्रदर्शन में रोकती, बाधित करती या में देरी करती है, वह ऐसे पक्ष के लिए उपयुक्त रूप से फोर्स मेजर का गठन करेगी यदि और उस सीमा तक कि यह उस प्रकार या चरित्र की है कि, यदि यह इस खंड पर भरोसा करने वाले पक्ष के साथ घटी होती, तो इस अनुसूची के तहत फोर्स मेजर की परिभाषा के अंतर्गत आती.

अनुसूची 5 - एएआई प्रत्यक्ष समझौते का प्रारूप

[हवाई अड्डा कंपनी के लेटरहेड पर]

[दिनांक]

[अध्यक्ष],

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (Airports Authority of India),

राजीव गांधी भवन, सफदरजंग एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स,

नई दिल्ली – 110 003

प्रिय [अध्यक्ष],

हम भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ("एएआई") और हमारे ("हवाई अड्डा कंपनी") के बीच [_____] दिनांकित सीएनएस/एटीएम सुविधाओं और सेवाओं के प्रावधान के समझौते ("सीएनएस/एटीएम समझौता") का संदर्भ लेते हैं।

सीएनएस/एटीएम समझौते में परिकल्पित रूप से, हवाई अड्डा कंपनी वित्तपोषण समझौतों में प्रवेश करने का प्रस्ताव करती है (सीएनएस/एटीएम समझौते में परिभाषित और जिसकी प्रतियां

आपको वितरित की गई हैं), जिसके अनुसार सुरक्षित पक्ष (जैसा कि नीचे परिभाषित है) महाराष्ट्र राज्य में नवी मुंबई में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के विकास के लिए हवाई अड्डा कंपनी को वित्तपोषण प्रदान करने के लिए सहमत हुए हैं।

ऐसे वित्तपोषण के लिए सुरक्षा के रूप में, हम इसके द्वारा आपको सूचित करते हैं कि [] **के पक्ष में दर्ज किए जाने वाले** [] ("डीड") के अनुसरण में, कुछ बैंकों और वित्तीय संस्थानों ("वरिष्ठ ऋणदाताओं") के लाभ के लिए ट्रस्टी ("सुरक्षा ट्रस्टी") के रूप में, हवाई अड्डा कंपनी ने वरिष्ठ ऋणदाताओं के लाभ के लिए सुरक्षा ट्रस्टी को हवाई अड्डा कंपनी की सभी संपत्तियों ("संपार्श्विक"), जिसमें अन्य बातों के अलावा, सीएनएस/एटीएम समझौता भी शामिल है, में प्रथम प्राथमिकता सुरक्षा हित प्रदान किया है।

वरिष्ठ ऋणदाताओं को सुरक्षा ट्रस्टी के साथ सामूहिक रूप से "सुरक्षित पक्ष" कहा जाता है।

हवाई अड्डा कंपनी अनुरोध करती है कि, इस पावती और सहमति की संलग्न प्रति पर हस्ताक्षर करके और वापस करके ("समझौता"), एएआई सुरक्षित पक्षों के लाभ के लिए निम्नलिखित की पुष्टि करता है और सहमत होता है:

- **(a) एएआई:**
  - **(i)** डीड की एक प्रति की प्राप्ति को स्वीकार करता है;
  - **(ii)** सुरक्षित पक्षों के देय दायित्वों के लिए सुरक्षा के रूप में सीएनएस/एटीएम समझौते में हवाई अड्डा कंपनी के सभी अधिकार, हक और हित के सुरक्षित पक्षों के पक्ष में असाइनमेंट (और डीड के तहत असाइनमेंट के सक्षम नहीं होने की सीमा तक, प्रभार) की सहमति देता है;
  - **(iii)** सहमत है कि ऐसे असाइनमेंट (या मामले के अनुसार प्रभार) सीएनएस/एटीएम समझौते का उल्लंघन या अतिलङ्घन नहीं करते हैं या नहीं करेंगे; और
  - **(iv)** सहमत है कि इस समझौते का निष्पादन और वितरण सीएनएस/एटीएम समझौते के खंड 11.2 में प्रदान किए गए ऐसे असाइनमेंट (या मामले के अनुसार प्रभार) और संभावित असाइनमेंट के लिए इसकी उचित लिखित सहमति का गठन करता है।
- **(b) एएआई सहमत है कि:**
  - **(i)** यदि सुरक्षा ट्रस्टी ने हवाई अड्डा कंपनी द्वारा प्रदान किए गए सुरक्षा हितों के अनुसरण में अपने अधिकारों का प्रयोग करने का विकल्प चुना है, ताकि स्वयं या उसके नामित व्यक्ति को हवाई अड्डा कंपनी के लिए प्रतिस्थापित किया जा सके... *(नोट: पाठ छवि के अंत में अधूरा है)*

  - **(ii)** यदि सुरक्षा ट्रस्टी हवाई अड्डा कंपनी द्वारा दिए गए सुरक्षा हितों के तहत उपायों के प्रयोग के अनुसरण में संपार्श्विक के सभी या किसी भी हिस्से को बेचता है या अन्यथा निपटान करता है (चाहे फोरक्लोज़र द्वारा या अन्यथा), तो खरीदार, सुरक्षा ट्रस्टी के अनुरोध पर और एएआई की पूर्व लिखित सहमति से (जिसे अनुचित रूप से रोका नहीं जाएगा), सीएनएस/एटीएम समझौते के तहत हवाई अड्डा कंपनी के स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाएगा, और सीएनएस/एटीएम समझौते के तहत बेचे गए या निपटाए गए ऐसे संपार्श्विक के

संबंध में हवाई अड्डा कंपनी के सभी अधिकारों, हक और हितों का उत्तराधिकारी बनेगा और सीएनएस/एटीएम समझौते के तहत हवाई अड्डा कंपनी की तरह कार्य कर सकता है और उसके लाभों का हकदार होगा।

- **(c) एएआई सहमत है कि** वह सीएनएस/एटीएम समझौते के तहत हवाई अड्डा कंपनी को देय धन का भुगतान सीधे और तुरंत उपलब्ध फंड में [_____] (साइट के स्थान का नाम) में उस खाते में करेगा जैसा सुरक्षा ट्रस्टी समय-समय पर निर्देशित कर सकता है (और हवाई अड्डा कंपनी इसके द्वारा एएआई को उपर्युक्त अनुसार ऐसे भुगतान करने के लिए अधिकृत और निर्देशित करती है)। सुरक्षा ट्रस्टी द्वारा हवाई अड्डा कंपनी को दिए गए सुरक्षा हितों के प्रयोग की स्थिति में, एएआई पिछले वाक्य में निर्दिष्ट खाते में ऐसा धन भुगतान करने के बजाय सीधे या सुरक्षा ट्रस्टी के आदेश पर सीएनएस/एटीएम समझौते के तहत एएआई से देय धन का भुगतान करने के लिए सुरक्षा ट्रस्टी से प्राप्त किसी भी और सभी लिखित निर्देशों का पालन करेगा (ऐसे भुगतानों के अन्य सभी नियम और शर्तें पिछले वाक्य में प्रदान किए अनुसार रहेंगी) और हवाई अड्डा कंपनी को इन राशियों का भुगतान करने के अपने दायित्वों की पूर्ण संतुष्टि में होगा.
- **(d) एएआई सहमत है कि** वह डीड के अनुसार सुरक्षा ट्रस्टी को हवाई अड्डा कंपनी का सच्चा और वैध वकील (attorney) के रूप में मान्यता देगा.
- **(e) एएआई सहमत है कि** वह सुरक्षा ट्रस्टी को नोटिस जारी किए बिना सीएनएस/एटीएम समझौते को समाप्त नहीं करेगा या उसके तहत अपने दायित्वों के प्रदर्शन को निलंबित नहीं करेगा.
- **(f) एएआई सहमत है कि** सुरक्षा ट्रस्टी को नोटिस को जन्म देने वाली घटना को सुधारने के लिए आवश्यक सीएनएस/एटीएम समझौते की शर्तों के अनुरूप कार्रवाई करने या कराने का अधिकार किसी भी समय होगा.
- **(g) एएआई सहमत है कि** वह उन घटनाओं में से किसी के होने पर सुरक्षा ट्रस्टी को तुरंत सूचित करेगा जो एएआई को सीएनएस/एटीएम समझौते के खंड 10.1 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार देती हैं और सुरक्षा ट्रस्टी को (हवाई अड्डा कंपनी को ऐसे नोटिस जारी करने के साथ ही) ऐसी घटनाओं के होने के किसी भी नोटिस की एक प्रति प्रदान करेगा जिसमें उसके तहत सुधार अवधियों से पहले और उनकी समाप्ति के बाद का कोई भी नोटिस शामिल है.
- **(h) यह समझौता** भारत के लागू कानूनों के अनुसार शासित और व्याख्यायित किया जाएगा.
- **(i) इस समझौते से** या इसके संबंध में उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद या मतभेद, इसकी प्रकृति की परवाह किए बिना, सीएनएस/एटीएम समझौते के खंड 12 के प्रावधानों के अनुसार विवाद समाधान के लिए संदर्भित किया जाएगा, जिसके प्रावधानों को संदर्भ द्वारा यहाँ शामिल किया गया है और इसका एक हिस्सा बनाया गया है मानो ऐसे प्रावधान यहाँ पूरी तरह से निर्धारित किए गए हों.
- **(j) सीएनएस/एटीएम समझौते के खंड 14.14 के प्रावधान** इस समझौते पर लागू होंगे और संदर्भ द्वारा यहाँ शामिल किए गए हैं और इसका एक हिस्सा बनाए गए हैं मानो ऐसे प्रावधान यहाँ पूरी तरह से निर्धारित किए गए हों.
- **(k) यह समझौता** यहाँ के किसी भी पक्ष द्वारा किसी अन्य कार्रवाई के बिना उस तारीख को समाप्त हो जाएगा जिस दिन वरिष्ठ ऋणदाताओं के लिए कोई बकाया ऋण नहीं होगा.

- **(l)** यह समझौता प्रभावी तिथि पर प्रभावी होगा।

भवदीय,

हवाई अड्डा कंपनी

द्वारा: नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड

नाम: संजय रेड्डी

पद: प्रबंध निदेशक

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इसके द्वारा [] **के** [] दिन से इस समझौते की पूर्ववर्ती शर्तों से बाध्य होने की स्वीकारोक्ति करता है और सहमत होता है।

द्वारा:

नाम:

पद:

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा इस समझौते के निष्पादन की तारीख के रूप में स्वीकार, स्वीकृत और सहमत।

[], सुरक्षा ट्रस्टी के रूप में;

द्वारा:

नाम:

पद: